

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01110UP2021PTC154607

वार्षिक रिपोर्ट

2025 – 26

वित्तीय वर्ष 2025–26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक)



द्वितीय तल, वर्धमान प्लाज़ा, प्लॉट सं.-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1,
रुड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250 110

ईमेल: info@haritpmilk.com | फ़ोन: 0121 2995900 | www.haritpmilk.com

विषय सूची	प्रष्ठ संख्या
अध्यक्षा का संदेश	3
मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	4
मूल्य, ध्येय एवं दीर्घ दृष्टि	5
निदेशकों की रिपोर्ट	6-32
लेखापरीक्षक रिपोर्ट	33-48
बैलन्स शीट	49-95
नोटिस	95-121

अध्यक्षा का संदेश

प्रिय दुग्ध उत्पादक भाइयों एवं बहनों, तथा बोर्ड के सम्मानित सदस्यगण,

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए **हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

विगत वर्ष हमारी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, जिसमें उत्पादक-केंद्रित विकास, संस्थागत सुदृढीकरण और सतत प्रगति पर हमारा निरंतर ध्यान रहा।

हमारा मूल उद्देश्य एक ऐसी **सुदृढ़, समावेशी एवं सतत उत्पादक-स्वामित्व वाली डेयरी संस्था** का निर्माण करना है, जिसमें हमारे दुग्ध उत्पादक सदस्य विकास के केंद्र में हों। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, हमने ग्रामीण स्तर पर दुग्ध संग्रहण व्यवस्था, सदस्य सेवाओं और डेयरी विकास गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया है।

दुग्ध उत्पादकों का विश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और उनकी आर्थिक समृद्धि हमारी विकास यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है।

डेयरी क्षेत्र में **महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण** को बढ़ावा देना भी हमारी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है।

हम तकनीक के माध्यम से सदस्य सेवाओं और परिचालन प्रक्रियाओं को निरंतर अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सतत विकास हमारी कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, बेहतर चारा प्रबंधन, बायोगैस और जैविक खाद जैसी पहलों के माध्यम से हम एक पर्यावरण-अनुकूल एवं दीर्घकालिक डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

बदलते डेयरी परिदृश्य में गुणवत्ता, दक्षता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को अपनाते हुए हम भविष्य की नई चुनौतियों और अवसरों के लिए स्वयं को निरंतर तैयार कर रहे हैं।

मैं अपने सभी दुग्ध उत्पादक सदस्यों, निदेशक मंडल, विशेषज्ञ निदेशकों, कर्मचारियों तथा सभी हितधारकों के निरंतर विश्वास, सहयोग और योगदान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं **एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज तथा अन्य तकनीकी एवं संस्थागत भागीदारों** के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी विशेष रूप से आभारी हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सामूहिक प्रयासों, नवाचार और उत्पादक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ **हरित प्रदेश** आने वाले वर्षों में एक सुदृढ़, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम एवं सतत डेयरी संस्था के रूप में और अधिक सशक्त होगा तथा अपने सदस्यों के लिए निरंतर दीर्घकालिक मूल्य का सृजन करेगा।

अंजु देवी

अध्यक्षा

मुख्य कार्यकारी का संदेश

प्रिय दुग्ध उत्पादक सदस्यगण एवं बोर्ड सदस्यगण,

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हरित प्रदेश मिल्क प्रोज़्यूसर कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व की बात है।

यह वित्तीय वर्ष हमारे परिचालन के निरंतर विस्तार, सदस्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी एवं सततता पर अधिक बल दिए जाने से चिह्नित रहा है।

हमारे सदस्य हमारे प्रत्येक कार्य के केंद्र में बने हुए हैं। कंपनी की वृद्धि तभी सार्थक है जब यह हमारे दुग्ध उत्पादक सदस्यों की बेहतर आय, बेहतर उत्पादकता तथा उन्नत जीवन गुणवत्ता में योगदान करे।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने मिल्क पूलिंग प्वाइंट नेटवर्क का विस्तार करके तथा मौजूदा संग्रहण केंद्रों को उन्नत करके अपनी दुग्ध संग्रहण अवसंरचना को सुदृढ़ किया। वर्ष के दौरान 599 नए एमपीपी स्थापित किए गए तथा 1,754 मौजूदा एमपीपी को सुदृढ़ किया गया।

दुग्ध गुणवत्ता सुधारने के हमारे प्रयास भी लगातार जारी रहे। डिजिटल दुग्ध संग्रहण प्रणालियों एवं उन्नत दुग्ध परीक्षण उपकरणों ने दुग्ध संग्रहण में पारदर्शिता को सुदृढ़ किया है तथा दुग्ध गुणवत्ता के वैज्ञानिक मूल्यांकन को संभव बनाया है।

कंपनी ने पशु उत्पादकता कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। पशु पोषण परामर्श सेवाओं, बछड़ा पालन, प्रजनन, चारा विकास, पशु चिकित्सा सेवाओं एवं किसान जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, हमने सदस्यों को डेयरी विकास सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करना जारी रखा है।

डिजिटल परिवर्तन हमारे परिचालन के एक प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में उभरा है। वर्ष के दौरान, हमने सदस्य सेवाओं, क्षेत्रीय संचालन, संग्रहण, भुगतान जानकारी एवं निगरानी हेतु अपने डिजिटल एप्लिकेशन एवं प्रणालियों को और सुदृढ़ किया।

साथ ही, हम अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति सचेत बने हुए हैं। डेयरी पालन को अधिक सतत बनाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा, चारा प्रबंधन, साइलेज, बायोगैस, जैविक खाद तथा संसाधन दक्षता से संबंधित पहलों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

वर्ष के दौरान प्राप्त प्रगति हमारे कर्मचारियों एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के समर्पण तथा हमारे सदस्यों के निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं होती।

मैं सभी दुग्ध उत्पादक सदस्यों, निदेशक मंडल, विशेषज्ञ निदेशकों, कर्मचारियों, सहायकों, एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकरों तथा अन्य सभी हितधारकों का उनके मूल्यवान सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

हम मिलकर एक सुदृढ़ उत्पादक संस्था के निर्माण तथा प्रत्येक सदस्य के लिए सतत मूल्य सृजन हेतु प्रतिबद्ध बने हुए हैं।

डॉ. हितेश पूनिया

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

मूल्य, ध्येय एवं दीर्घ दृष्टि

हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक संस्था के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घ दृष्टि

मूल्य :	ध्येय :
• गुणवत्ता प्रत्येक स्तर पर • पारदर्शिता • ईमानदारी • प्रतिबद्धता • समय पाबंद • जुनून • प्रगतिशील • टीम भावना	हरित प्रदेश एमपीसी अपने दुग्ध उत्पादक सदस्यों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए, गुणवत्ता युक्त दूध का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य एवं तकनीकी सेवाएँ प्रदान करते हुए, कम लागत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प है। साथ ही एमपीसी उच्च गुणवत्ता युक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थ को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है।

दीर्घ दृष्टि (2030) :

हरित प्रदेश एमपीसी, दुग्ध उत्पादक सदस्यों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी तथा भारत के डेयरी क्षेत्र में शीर्ष 10 संस्थानों में सबसे अग्रणी होगी।

(नोट :- हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाए जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकगण, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के परिचालन पर अपनी 5वीं वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखों सहित, प्रस्तुत करते हुए वर्ष का अनुभव करते हैं।

वित्तीय परिणाम

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं: (₹लाख में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
परिचालन से राजस्व	60,254.76	45,393.45
अन्य आय	389.92	422.53
व्ययों सहित कुल लागत	59,681.58	44,842.19
कर पूर्व लाभ / (हानि)	963.10	973.79
कर व्यय:		
(1) चालू कर	273.00	268
(2) आस्थगित कर	(25.13)	(17.09)
शुद्ध कर व्यय	247.87	250.91
कर पश्चात लाभ / (हानि)	715.23	722.88

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 602.55 करोड़ का कारोबार अर्जित किया, जबकि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में यह ₹ 453.93 करोड़ था।

कंपनी ने इस अवधि में ₹ 606.45 करोड़ की कुल आय अर्जित की, जिसमें ₹ 602.55 करोड़ का परिचालन राजस्व तथा ₹ 3.90 करोड़ की अन्य आय सम्मिलित है। अवधि के दौरान किया गया कुल व्यय ₹ 596.82 करोड़ रहा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 7.15 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

सीमित प्रतिफल (लाभांश)

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 100 अंकित मूल्य के 14,71,662 इक्विटी शेयरों पर ₹ 100 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर ₹ 8 के लाभांश की संस्तुति करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है। इक्विटी शेयरों पर लाभांश 6वीं वार्षिक आम सभा ("ए.जी. एम") में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। आगामी एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2026 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं। अनुमोदित होने पर इस लाभांश से ₹ 1.18 करोड़ का नकदी बहिर्प्रवाह होगा।

सामान्य भंडार में अंतरण

निदेशक मंडल, कंपनी के अंतर्नियमों के सुसंगत प्रावधानों सहपठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के अनुसार, ₹ 5.97 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि के खाते में अंतरित करने का प्रस्ताव करता है।

व्यावसायिक परिचालन

हरित प्रदेश का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक दुग्ध उत्पादक, जिसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक भी सम्मिलित हैं, को एक संगठित एवं पारदर्शी दुग्ध विपणन व्यवस्था उपलब्ध हो। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दुग्ध संप्राप्ति नेटवर्क का विस्तार इस उद्देश्य से किया गया कि संगठित डेयरी सेवाएं उत्पादक परिवारों के निकट पहुंचें तथा दक्षता, पारदर्शिता एवं दुग्ध गुणवत्ता में सुधार हो।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान:

- कंपनी ने 2,353 दुग्ध संग्रह केंद्रों (एमपीपी) के माध्यम से लगभग 66,535 दुग्ध उत्पादक सदस्यों से प्रत्यक्ष रूप से दुग्ध संप्राप्ति की, जिसका औसत 2.84 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन रहा।
- वर्ष के दौरान एक दिन की सर्वाधिक दुग्ध संप्राप्ति 4.32 लाख किलोग्राम रही, जो 24 फरवरी 2026 को दर्ज की गई।
- 599 नए दुग्ध संग्रह केंद्र स्थापित किए गए।
- 1,754 विद्यमान दुग्ध संग्रह केंद्रों को सुदृढ़/उन्नत किया गया।
- कंपनी के संगठित दुग्ध संप्राप्ति नेटवर्क का विस्तार 2,353 गांवों तक किया गया।
- 1 नई दुग्ध संप्राप्ति/शीतलन अवसंरचना इकाई प्रारंभ की गई।
- वर्ष के दौरान 20 किलोलीटर की अतिरिक्त शीतलन क्षमता सृजित की गई।
- 2,353 डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित/उन्नत की गई।
- 30 दुग्ध परीक्षण/मिलावट जांच मशीनें स्थापित की गई।
- दुग्ध संप्राप्ति एवं गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु 1,400 सहायकों को अभिमुखीकरण/पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कंपनी डिजिटल तौल, गुणवत्ता परीक्षण तथा दुग्ध प्रदाय आंकड़ों के व्यवस्थित अभिलेखन के माध्यम से दुग्ध संप्राप्ति को अधिक पारदर्शी बनाने पर केंद्रित रही। ग्राम स्तरीय अवसंरचना के विस्तार से सहायकों, परिवहनकर्ताओं एवं अन्य सेवा प्रदाताओं की संलग्नता के माध्यम से स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है।

अंतिम छोर तक नेटवर्क का सुदृढीकरण

कंपनी की क्षेत्रीय अभियांत्रिकी पहलें केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं हैं। प्रत्येक दुग्ध संग्रह केंद्र को कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच एक प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। सुदृढ़ अवसंरचना से निम्नलिखित में सहयोग की अपेक्षा है:

- दुग्ध संप्राप्ति दक्षता में सुधार
- बेहतर दुग्ध गुणवत्ता
- पारदर्शी मापन
- आंकड़ों का तीव्र प्रेषण
- सदस्य सेवा में सुधार
- दुग्ध प्रबंधन (हैंडलिंग) समय में कमी
- बेहतर शीत-श्रृंखला प्रबंधन

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन: दक्ष, उत्तरदायी एवं संधारणीय

दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता तथा ताजगी बनाए रखने के लिए एक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने दुग्ध परिवहन, मार्ग नियोजन, शीतलन परिचालन एवं वितरण प्रणालियों को निरंतर सुदृढ़ किया। कंपनी के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में लगभग 190 दुग्ध संप्राप्ति मार्ग एवं 0 वितरण मार्ग सम्मिलित रहे।

दुग्ध परिवहन नियोजन निम्नलिखित पर केंद्रित रहा:

- दूध की समयबद्ध संप्राप्ति
- वाहनों का इष्टतम उपयोग
- मार्ग अनुकूलन
- परिवहन लागत में कमी
- दुग्ध गुणवत्ता का अनुरक्षण
- वाहन उपयोग में सुधार
- अनावश्यक विलंब में कमी

कंपनी ने स्थानीय परिवहनकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को संलग्न करना जारी रखा, जिससे उन ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आजीविका के अवसर सृजित हुए जहां कंपनी कार्यरत है।

आपूर्ति श्रृंखला: एक दृष्टि में

विवरण	आंकड़ा
दुग्ध संप्राप्ति मार्ग	190
दुग्ध परिवहन वाहन	190
औसत दैनिक दुग्ध परिवहन	2,84,000 किलोग्राम प्रतिदिन
दुग्ध शीतलन केंद्र	12
बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी)	18
कुल दुग्ध शीतलन क्षमता	283 किलोलीटर

उत्पादक संस्था निर्माण: सहभागिता के माध्यम से सदस्यों का सशक्तिकरण

हमारे सदस्य कंपनी की नींव हैं। उत्पादक संस्था निर्माण गतिविधियां इस प्रकार अभिकल्पित की गई हैं कि कंपनी के प्रति सदस्यों की समझ सुदृढ़ हो, डेयरी पद्धतियों संबंधी उनका ज्ञान बढ़े तथा उत्पादक संस्था में उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहन मिले।

वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए:

कार्यक्रम	प्रतिभागी
सदस्य जागरूकता कार्यक्रम	20,000
महिला जागरूकता कार्यक्रम	16,828
स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जागरूकता कार्यक्रम	19,990

ग्राम स्तरीय बैठकों के माध्यम से सदस्यों को दुग्ध संप्राप्ति, गुणवत्ता एवं परीक्षण, सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व, भुगतान एवं अतिरिक्त प्रतिफल, पशुपालन, कंपनी की पहलों, डिजिटल सेवाओं तथा अभिशासन एवं सहभागिता संबंधी जानकारी निरंतर उपलब्ध कराई जाती है। कंपनी ने सदस्य बैठकों एवं गतिविधियों के अभिलेखन तथा अनुश्रवण हेतु डिजिटल मंचों का उपयोग भी जारी रखा।

सदस्यता विकास

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने केंद्रित सदस्यता विकास गतिविधियां संचालित कीं, जिनके परिणामस्वरूप 21,394 नए सदस्य नामांकित हुए। 31 मार्च 2026 को कंपनी की कुल सदस्यता 79,120 सदस्यों की रही।

कंपनी के सदस्यता आधार में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर बनी रही — कुल महिला सदस्य: 31,523, जो कुल सदस्यता का 40% है। कंपनी डेयरी गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उत्पादक संस्था के विकास में महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी।

उत्पादकता संवर्धन सेवाएं

उत्पादक आय में वृद्धि हेतु समग्र दृष्टिकोण

उत्पादकता संवर्धन सेवाएं कंपनी के सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से हैं, जिनका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित पशुपालन के माध्यम से सदस्यों को दुग्ध उत्पादन एवं लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता करना है। वर्ष के दौरान प्रमुख हस्तक्षेपों में निम्नलिखित सम्मिलित रहे:

- पशु स्वास्थ्य सेवाएं
- कृत्रिम गर्भाधान
- प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं
- पशु पोषण
- राशन संतुलन

- चारा विकास
- बछड़ा-बछिया पालन
- कृमिनाशन
- थनैला (मैस्टाइटिस) नियंत्रण
- रोग निवारण
- पशु टैगिंग
- किसान जागरूकता

ये सेवाएं दुग्ध उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के समाधान हेतु अभिकल्पित की गई हैं, साथ ही ये सदस्यों को अनावश्यक उत्पादन लागत घटाने में सहायता करती हैं।

पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा सेवाएं — द्वार पर सुलभ पशु चिकित्सा देखभाल

संधारणीय डेयरी उत्पादन के लिए स्वस्थ पशु अनिवार्य हैं। कंपनी की द्वार-सेवा आधारित पशु चिकित्सा सुविधाएं दुग्ध उत्पादक सदस्यों को किफायती एवं सुलभ पशु चिकित्सा देखभाल निरंतर उपलब्ध करा रही हैं।

वर्ष के दौरान:

- 208 दुग्ध संग्रह केंद्रों को द्वार-सेवा पशु चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत आच्छादित किया गया।
- 2 चल पशु चिकित्सा इकाइयां क्रियाशील रहीं।
- 624 पशुओं का उपचार किया गया।
- 8 बड़ी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं संपन्न की गईं।
- 37 मामलों का उपचार वैकल्पिक/एथनो-वेटेनरी पद्धतियों से किया गया।
- 92 बांझ पशुओं की प्रजनन स्वास्थ्य जांच की गई।
- सदस्यों को 16,902 कृमिनाशक खुराकें उपलब्ध कराई गईं।

इस कार्यक्रम से सदस्यों को अपने गांवों के निकट ही पशु चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में सहायता मिली है, जिससे पशुओं को दूरस्थ पशु चिकित्सा केंद्रों तक ले जाने की लागत एवं असुविधा में कमी आई है।

कृत्रिम गर्भाधान एवं नस्ल सुधार — भविष्य हेतु पशुधन का निर्माण

नस्ल सुधार, डेयरी उत्पादकता बढ़ाने की एक दीर्घकालिक रणनीति है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2,386 गांवों में कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई) सेवाएं प्रदान की गईं, जिनसे 32,332 सदस्य लाभान्वित हुए। वर्ष के दौरान कुल 1,03,221 कृत्रिम गर्भाधान किए गए।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित भी सम्मिलित रहे:

- प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता
- मदकाल (हीट) पहचान संबंधी जागरूकता

- समयबद्ध गर्भाधान
- गर्भ परीक्षण
- उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली बछियों का पंजीकरण
- किसान जागरूकता कार्यक्रम

पंजीकृत उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली बछियां: 3,301। कंपनी सदस्यों के पशुधन की आनुवंशिक क्षमता में उत्तरोत्तर सुधार हेतु प्रजनन सेवाओं को निरंतर सुदृढ़ करती रहेगी।

पशु पोषण — वैज्ञानिक आहार के माध्यम से उत्पादकता में सुधार

समुचित पोषण, पशु स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी लाभप्रदता का आधार है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने वैज्ञानिक आहार परामर्श, संतुलित राशन निर्माण तथा गुणवत्तापूर्ण पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की उपलब्धता के माध्यम से अपनी पशु पोषण सेवाओं को सुदृढ़ किया।

प्रमुख उपलब्धियां

विवरण	आंकड़ा
विक्रय/वितरित पशु आहार	14,150 मीट्रिक टन
विक्रय/वितरित खनिज मिश्रण	65 मीट्रिक टन
पोषण परामर्श के अंतर्गत आच्छादित किसान	1,500
आच्छादित पशु	1,500
राशन संतुलन परामर्श प्राप्त करने वाले किसान	1,000

कंपनी की पोषण संबंधी पहलें उत्पादकों को संतुलित राशन, खनिज अनुपूरण, अवस्था-विशिष्ट आहार, संक्रमण काल आहार, दुग्धकाल प्रबंधन, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चारा संसाधनों के महत्व तथा अनावश्यक आहार लागत में कमी को समझाने पर केंद्रित हैं।

चारा विकास एवं साइलेज — चारा सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

डेयरी उत्पादन लागत घटाने के लिए वर्ष भर गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता अनिवार्य है। वर्ष के दौरान कंपनी ने उत्पादक सदस्यों को उन्नत/अधिक उपज देने वाले चारा बीज वितरित किए तथा वैज्ञानिक चारा उत्पादन को प्रोत्साहित किया।

- चारा बीज वितरण: 218 मीट्रिक टन
- लाभान्वित किसान: 6,650
- आच्छादित गांव: 1,112
- स्थापित साइलेज इकाइयां: 8

हरे चारे के परिरक्षण तथा मौसमी चारा अभाव के समाधान हेतु किसानों को साइलेज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया।

बछड़ा-बछिया पालन कार्यक्रम — भविष्य की उत्पादकता में निवेश

किसी डेयरी परिवार की भावी उत्पादकता उसके युवा पशुधन की गुणवत्ता पर काफी हद तक निर्भर करती है। अतः कंपनी ने पोषण, पहचान एवं प्रबंधन संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से वैज्ञानिक बछड़ा-बछिया पालन पद्धतियों को निरंतर प्रोत्साहित किया।

वर्ष के दौरान:

- आच्छादित गर्भवती पशु: 500
- आच्छादित बछियां: 262
- लाभान्वित किसान: 500
- प्रदत्त बछड़ा आहार: 56.65 मीट्रिक टन

यह कार्यक्रम स्वस्थ विकास तथा भावी प्रजनन एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता को सहयोग देने हेतु गर्भावस्था के दौरान समुचित पोषण तथा बछड़े-बछिया के प्रारंभिक विकास पर केंद्रित है।

दुग्ध गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा

गुणवत्ता कंपनी की मूल प्रतिबद्धताओं में से एक है। कंपनी ने ग्राम स्तर तथा शीतलन केंद्र स्तर पर वैज्ञानिक दुग्ध परीक्षण को निरंतर सुदृढ़ किया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान:

- डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट: 2,353
- स्वचालित दुग्ध संप्राप्ति इकाइयां: 11

कंपनी की गुणवत्ता प्रणालियां दुग्ध उत्पादक सदस्यों हेतु सटीक मापन, वैज्ञानिक परीक्षण एवं पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित हैं।

शीत श्रृंखला एवं शीतलन अवसंरचना

कच्चे दूध की गुणवत्ता के परिरक्षण हेतु शीत श्रृंखला का अनुरक्षण अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित को प्रारंभ/उन्नत करते हुए अपनी शीतलन अवसंरचना को सुदृढ़ किया:

विवरण	आंकड़ा
नए बल्क मिल्क कूलर	4
नए शीतलन केंद्र	1
अतिरिक्त शीतलन क्षमता	20 किलोलीटर
उन्नत किए गए विद्यमान शीतलन केंद्र	11

सुदृढ़ अवसंरचना से दुग्ध संप्राप्ति एवं शीतलन के बीच का समय घटाने में सहायता मिलेगी, जिससे कच्चे दूध की गुणवत्ता बेहतर होगी तथा गुणवत्ता हास में कमी आएगी।

संधारणीयता एवं पर्यावरणीय प्रभाव

हम हरित पद्धतियों एवं संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करने के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी वृद्धि पर्यावरणीय संरक्षकता के अनुरूप हो:

- क्रियाशील बायोगैस इकाइयां: अब 498 दुग्ध संग्रह केंद्रों पर सक्रिय, जो परिवारों को एलपीजी पर निर्भरता घटाने तथा अपशिष्ट को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायता कर रही हैं। इस प्रतिमान की सफलता को अब अन्य एफपीओ एवं दुग्ध संघों के साथ साझा किया जा रहा है।
- पर्यावरण-अनुकूल कृषि: जैविक खाद के बढ़ते उपयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घट रही है तथा मृदा स्वास्थ्य एवं दीर्घकालिक कृषि उपज में सुधार हो रहा है। इससे उत्पादकों की अर्थव्यवस्था एवं मृदा संरक्षण प्रयासों, दोनों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।
- कार्बन फुटप्रिंट में कमी: बेहतर मार्ग नियोजन, वाहनों का दक्ष उपयोग तथा समेकित लॉजिस्टिक्स से उत्सर्जन घट रहा है और वितरण दक्षता बढ़ रही है।

ये हस्तक्षेप न केवल पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त हैं, अपितु समान भौगोलिक क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी प्रणालियों के लिए मानक भी स्थापित कर रहे हैं।

भविष्य की दिशा

वित्तीय वर्ष 2025-26 की ओर देखते हुए हमारी प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताएं निम्नानुसार हैं:

- अतिरिक्त मोबाइल सुविधाओं एवं बहुभाषी सहयोग के साथ डिजिटल सदस्य सेवाओं की पहुंच एवं कार्यक्षमता का विस्तार।
- राज्य अभिकरणों एवं निजी उद्यमों के साथ भागीदारी के माध्यम से पशु चिकित्सा, प्रजनन एवं चारा संबंधी संपर्कों का सुदृढ़ीकरण।
- स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, जलवायु-अनुकूल डेयरी पद्धतियों एवं जैविक प्रमाणन पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।
- निरंतर प्रशिक्षण, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अब तक की अपनी यात्रा पर गौरवान्वित है तथा आगामी मार्ग के प्रति उत्साहित है। अपने सदस्यों एवं हितधारकों के निरंतर सहयोग से हम अपने प्रभाव को और गहरा करने, नवाचार को गति देने तथा समूचे भारत में संधारणीय ग्रामीण विकास के एक प्रतिमान के रूप में कार्य करने का प्रयास करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने संपूर्ण संगठन में विश्वसनीय एवं दक्ष प्रौद्योगिकी सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु आईटी अवसंरचना, कनेक्टिविटी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, अभिशासन एवं उपयोगकर्ता सहायता को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया।

दक्ष परिचालन के संवाहक के रूप में प्रौद्योगिकी

कंपनी में पारदर्शिता, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (I.T) लगातार अहम भूमिका निभा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, I.T विभाग ने पूरे संगठन में भरोसेमंद और कुशल टेक्नोलॉजी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए I.T इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, गवर्नेंस और यूजर सपोर्ट को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

इस साल सदस्य सेवाओं और कामकाज के लिए मुख्य डिजिटल पहलों में शामिल थे: सदस्य एप्लीकेशन को बेहतर बनाना, डिजिटल सदस्य नामांकन, डिजिटल दूध खरीद, भुगतान सूचना प्रणाली, फील्ड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, रूट और वाहन ट्रैकिंग, एसेट मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और डिजिटल अप्रूवल सिस्टम। कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम बनाना है जो समय पर निर्णय लेने और बेहतर सदस्य सेवा में मदद करे।

प्रमुख आईटी पहलें एवं उपलब्धियां

1. एस.ए.पी एस/4 हाना (SAP S/4HANA) का कार्यान्वयन

कंपनी ने एक प्रमुख डिजिटल रूपांतरण पहल के रूप में प्राइवेट क्लाउड वातावरण पर एसएपी एस/4हाना कार्यान्वित किया। आईटी विभाग ने व्यावसायिक प्रकार्यों एवं कार्यान्वयन भागीदार के सहयोग से अवसंरचना की तैयारी, उपयोगकर्ता पहुंच, प्रणाली एकीकरण, समस्या समाधान एवं कार्यान्वयन सहायता का समन्वय किया। इस पहल से एक केंद्रीकृत एवं मानकीकृत एंटरप्राइज मंच स्थापित हुआ, जो बेहतर प्रक्रिया एकीकरण, आंकड़ों की संगति, व्यावसायिक दृश्यता एवं प्रबंधन रिपोर्टिंग को सहयोग प्रदान करता है। सुचारु अंगीकरण एवं परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयन पश्चात सहायता एवं प्रणाली अनुश्रवण भी जारी रखा गया।

2. एस.डी-वैन (SD-WAN) का कार्यान्वयन

कंपनी ने व्यावसायिक स्थलों पर कनेक्टिविटी के आधुनिकीकरण हेतु सॉफ्टवेयर-डिफाईड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-वैन) कार्यान्वित किया। इस पहल में नेटवर्क कॉन्फिगरेशन, रूटिंग एवं ट्रैफिक प्रबंधन, स्थल-स्तरीय परिनियोजन तथा सतत अनुश्रवण सम्मिलित रहे। एसडी-वैन केंद्रीकृत नेटवर्क दृश्यता एवं प्रबंधन उपलब्ध कराता है, कनेक्टिविटी की विश्वसनीयता एवं बैंडविड्थ उपयोग में सुधार करता है, तथा एस.ए.पी एस/4 हाना, क्लाउड सेवाओं एवं अन्य एंटरप्राइज एप्लीकेशनों को सहयोग देने हेतु एक मापनीय नेटवर्क ढांचा सृजित करता है।

3. इंटरनेट लीज्ड लाइन (आई.एल.एल) का संवर्धन

बैंडविड्थ उपलब्धता एवं कनेक्टिविटी निष्पादन में सुधार हेतु इंटरनेट लीज्ड लाइन का संवर्धन किया गया। यह उन्नयन एंटरप्राइज एप्लीकेशनों, क्लाउड-आधारित सेवाओं एवं दैनिक व्यावसायिक परिचालन को सहयोग प्रदान करता है तथा समग्र इंटरनेट कनेक्टिविटी अवसंरचना को सुदृढ़ करता है।

4. एक्टिव डायरेक्ट्री सर्विसेज (ए.डी.एस) से जुड़ी प्रणालियां

केंद्रीकृत प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता प्रबंधन एवं पहुंच नियंत्रण हेतु प्रणालियों एवं उपयोगकर्ताओं को एक्टिव डायरेक्ट्री सर्विसेज (ए.डी.एस) से एकीकृत किया गया। यह पहल संगठन के पहचान एवं पहुंच प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ करती है तथा उपयोगकर्ताओं एवं प्रणाली पहुंच के अधिक संगत प्रशासन को सहयोग देती है।

5. आईटी अभिशासन एवं लेखापरीक्षा अनुपालन

कंपनी ने प्रमुख आईटी नियंत्रणों, नीतियों एवं अनुपालन उपायों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के माध्यम से आईटी अभिशासन को निरंतर सुदृढ़ किया। लेखापरीक्षा प्रेक्षकों के समाधान तथा संगठनात्मक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई।

6. आईटी अवसंरचना एवं उपयोगकर्ता सहायता

कंपनी ने नेटवर्क प्रशासन, प्रणाली सहायता एवं अंतिम-उपयोगकर्ता सहायता सहित आईटी अवसंरचना का अनुरक्षण एवं संवर्धन किया। निरंतर सहायता से प्रौद्योगिकी सेवाओं की उपलब्धता तथा परिचालन संबंधी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने में सहायता मिली।

आगे की राह

आगे चलकर आईटी विभाग साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण, स्वचालन, प्रौद्योगिकी सुनम्यता, व्यावसायिक निरंतरता, डिजिटल रूपांतरण एवं आईटी लागत अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र मापनीय बना रहे और कंपनी की व्यावसायिक वृद्धि एवं रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप रहे।

मानव संसाधन

इस वर्ष हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की मानव संसाधन टीम ने कर्मचारियों को ऐसे कौशल एवं आत्मविश्वास से सुसज्जित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वे परिवर्तनशील उद्योग में सफल हो सकें। प्रशिक्षण पहलों को व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप ढालकर हम एक ऐसा कार्यबल तैयार कर रहे हैं जो सक्षम भी है और भविष्य के लिए तत्पर भी।

हमारे कार्यक्रम नेतृत्व एवं तकनीकी उत्कृष्टता पर बल देते हैं। नेतृत्व कार्यशालाएं प्रबंधकों एवं टीम लीडरों को संप्रेषण, निर्णयन एवं रणनीतिक चिंतन जैसे महत्वपूर्ण कौशलों से सुसज्जित करती हैं, जिससे वे टीमों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सकें और दीर्घकालिक वृद्धि में योगदान दे सकें। इसके साथ ही, लक्षित तकनीकी प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी नई प्रौद्योगिकियों एवं सर्वोत्तम पद्धतियों से

अद्यतन रहें, जिससे नवाचार को गति मिलती है तथा गुणवत्ता एवं दक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बनी रहती है।

इन प्रयासों के पूरक के रूप में कार्यस्थल पर परामर्शन (मेंटरिंग) एवं व्यावहारिक अधिगम सत्र प्रारंभ किए गए हैं। यह दृष्टिकोण कर्मचारियों को कक्षा में प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक परिणामों में परिवर्तित करने में सहायता करता है, जिससे तत्काल व्यावसायिक प्रभाव सुनिश्चित होता है। कर्मचारी अब अपनी-अपनी भूमिकाओं में पहल करने, समस्याओं का समाधान करने तथा नवाचारी विचार प्रस्तुत करने हेतु बेहतर रूप से तैयार हैं।

हमारा मानना है कि अपने लोगों में निवेश करना, अपनी सफलता में निवेश करना है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक कैरियर विकास मार्ग के रूप में भी कार्य करता है, जो कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने तथा नई भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रेरित करता है। कर्मचारी वर्दी प्रारंभ करने जैसी पहलें एकता एवं अपनत्व की भावना को और प्रोत्साहित करती हैं, जिससे सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति विकसित होती है। इस प्रकार के छोटे किंतु विचारपूर्ण उपाय सभी संयंत्रों एवं कार्यालयों में मनोबल बढ़ाते हैं तथा टीम की पहचान को सुदृढ़ करते हैं।

मानव संसाधन विभाग ने कर्मचारी कल्याण एवं संलग्नता को भी प्राथमिकता दी है। जागरूकता सत्रों, आवधिक संवाद तथा खुले संप्रेषण माध्यमों से एक ऐसा सहयोगी वातावरण बनाने में सहायता मिली है जहां कर्मचारी स्वयं को मूल्यवान एवं सुना हुआ अनुभव करते हैं। संलग्नता पर यह ध्यान न केवल कर्मचारी प्रतिधारण बढ़ाता है, अपितु एक ऐसा सुनम्य कार्यबल भी तैयार करता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को अपनाने हेतु तत्पर रहे।

आगे की ओर देखते हुए, हम निरंतर अधिगम, कल्याण एवं सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य एक प्रेरित, कुशल एवं एकजुट कार्यबल विकसित करना है जो उद्योग के परिवर्तनों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके। क्षमता निर्माण एवं कार्यस्थल सामंजस्य में निरंतर निवेश करते हुए हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी संधारणीय वृद्धि की सुदृढ़ नींव रख रही है तथा डेयरी उद्योग में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित कर रही है।

रोजगार सृजन

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, चाहे वह सहायक हों, मार्ग वाहन परिवहनकर्ता हों, टैंकर परिवहनकर्ता हों, संविदा श्रमिक हों अथवा कंपनी में प्रत्यक्ष रोजगार हों।

सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल उपलब्ध कराती है। कर्मचारियों, विशेषकर दूध का भौतिक रूप से प्रबंधन करने वालों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर सदैव ध्यान दिया जाता है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत से संबंधित वित्तीय विवरण और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

वित्तीय विवरण या रिपोर्ट का संशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) के तहत स्वैच्छिक या न्यायिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय वर्ष में वित्तीय विवरण या रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

पूंजी संरचना एवं शेयरों का निर्गम तथा सदस्यता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 31 मार्च, 2026 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 20 करोड़ है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 100 प्रत्येक के 2,93,425 इक्विटी शेयर निर्गत किए हैं। 31 मार्च, 2026 को कंपनी की अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 14,71,66,200 रही।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर अथवा अधिमान शेयर अथवा ऐसी कोई प्रतिभूति निर्गत नहीं की है जिसमें उन्हें शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार अथवा विकल्प निहित हो।

31 मार्च, 2026 को कंपनी का कुल सदस्यता आधार 73,685 सदस्यों का था। 31 मार्च, 2026 के पश्चात कंपनी ने 8,897 नए सदस्य नामांकित किए हैं तथा 1,364 सदस्यों की सदस्यता रद्द हुई है। अतः इस रिपोर्ट की तिथि को कुल सदस्यों की संख्या 81,218 है।

मताधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति

कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा में मताधिकार के प्रयोग के संबंध में, 15,315 सदस्य (श्रेणी-क, श्रेणी-ख एवं श्रेणी-ग) 6वीं वार्षिक आम सभा में प्रस्तावित सभी संकल्पों (अपनी-अपनी श्रेणी के निदेशकों के निर्वाचन सहित) पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु अधिकृत हैं।

5,922 सदस्य 6वीं वार्षिक आम सभा में प्रस्तावित सभी संकल्पों (श्रेणी-आधारित निदेशक निर्वाचन को छोड़कर) पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने मतदान की मूलभूत शर्त (अर्थात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिन दूध प्रदाय करते हुए कुल कम से कम 500 लीटर) तो पूरी की है, किंतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी-अपनी श्रेणी के एक अथवा अधिक संरक्षण (पैट्रोनेज) मानदंडों को पूरा नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, मतदान के पात्र 21,237 सदस्यों में से 123 सदस्यों ने इस रिपोर्ट की तिथि तक अपनी सदस्यता अभ्यर्पित कर दी है, अतः प्रभावी रूप से केवल 21,114 सदस्य ही कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 34,444 सदस्य, जिन्होंने वर्ष में कम से कम 200 दिन कुल 500 लीटर दूध प्रदाय नहीं किया, अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं तथा आगामी वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी संकल्प पर मतदान के पात्र नहीं हैं।

जिन सदस्यों के नाम 31 मार्च, 2026 को सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं, किंतु जिन्होंने 31 मार्च के पश्चात अपनी सदस्यता अभ्यर्पित कर दी है, वे वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लाभांश प्राप्त करने के पात्र बने रहेंगे, यदि 6वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है; तथापि, वे सदस्यता से संबंधित अन्य किसी अधिकार अथवा लाभ के, जिसमें एजीएम में उपस्थिति एवं मतदान सम्मिलित है, पात्र नहीं होंगे, क्योंकि वे कंपनी के सदस्य नहीं रह गए हैं। इसी प्रकार, जिन सदस्यों को 31 मार्च, 2026 के पश्चात कंपनी का सदस्य बनाया गया है, वे वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आगामी एजीएम में लाभांश एवं मताधिकार के पात्र नहीं होंगे।

उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत का अधिकार होगा।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित लाभांश ऐसे अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त अथवा अदावाकृत रहता है, तो ऐसा अदावाकृत अथवा अदत्त लाभांश, उस पर उपचित ब्याज सहित (यदि कोई हो), कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में अंतरित किया जाएगा, जो धारा 125 के अंतर्गत स्थापित एक निधि है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) की अपेक्षा के अनुसरण में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई अदत्त/अदावाकृत लाभांश राशि अंतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं हुई।

प्रतिदाय हेतु देय अदत्त/अदावाकृत लाभांश की सूची कंपनी की वेबसाइट www.haritpmilk.com/unclaimed-dividend/ पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त सूची की जांच करें तथा यदि उन्हें देय कोई उपर्युक्त राशि उक्त सूची में अदत्त दर्शाई गई है, तो वे ऐसी राशि का दावा करने हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है, जो <https://www.haritpmilk.com/nodal-officer-appointed-by-the-company-under-the-provisions-of-iepf/> पर भी उपलब्ध है:

नाम	पदनाम	पता एवं संपर्क नंबर	ईमेल आईडी
श्रीमान नारायण पांडेय	कंपनी सचिव एवं प्रबंधक – विधि	द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नं.-9, पॉकेट-जे, रुड़की रोड, पल्लवपुरम-1, मेरठ- 250 110, उत्तर प्रदेश, भारत फोन: 0121 434 1575 मोबाइल: 7417754404	shriman.pandey@haritpmilk.com

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल कंपनी के कार्यों के संपादन हेतु समय-समय पर बैठक करता है तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की दस बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	मंडल की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
32वीं	17/05/2025	11	11
33वीं	09/07/2025	10	10
34वीं	13/08/2025	11	11
35वीं	20/09/2025	14	14
36वीं	08/11/2025	14	13
37वीं	23/12/2025	14	14
38वीं	28/03/2026	14	14

समितियां

हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की अपेक्षा के अनुसरण में, कंपनी के शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु निदेशक मंडल द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया। समिति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती अंजू देवी	अध्यक्षा
2.	श्रीमती संगीता	सदस्य
3.	डॉ. हितेश पूनिया	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की एक बैठक हुई:

हितधारक संबंध समिति बैठक संख्या	समिति बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
तीसरा	28/03/2026	3	3

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

निदेशक पद में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान:

- श्रेणी-A का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री कपिल भारद्वाज (डीआईएन: 09377124) तथा श्री शैलेन्द्र सिंह (डीआईएन: 09377123) 20/09/2025 को आयोजित 6वीं वार्षिक आम सभा में कंपनी के निदेशक नहीं रहे।
- श्री मोहित कुमार (डीआईएन: 11251859), श्री प्रवीण कुमार (डीआईएन: 11254732), श्री प्रदीप कुमार (डीआईएन: 11251875), श्री विश्वजीत पंवार (डीआईएन: 11251853) तथा श्री दिगंबर सिंह (डीआईएन: 11251864) को 20/09/2025 को आयोजित 6वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया।
- 9 जुलाई, 2025 को आयोजित 33वीं निदेशक मंडल बैठक में डॉ. नीरवकुमार प्रह्लादभाई पटेल (डीआईएन: 11214163) की उम्मीदवारी विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित की गई तथा उन्हें 25 जुलाई, 2025 से दो वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ निदेशक नियुक्त किया गया।
- निदेशक मंडल में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त श्री आलोक कुमार गुप्ता (डीआईएन: 03159741) 27 जून, 2025 से कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक नहीं रहे।

अनुच्छेद 9.6 यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक वार्षिक आम सभा में कुल निर्वाचित निदेशकों में से एक-चौथाई चक्रानुक्रम से निवृत्त होंगे तथा वे निदेशक निवृत्त होंगे जो अपनी अंतिम नियुक्ति के पश्चात सबसे लंबे समय से पद पर हैं। अनुच्छेद 9.6 (i) के अनुसार, जो व्यक्ति एक ही दिन निदेशक बने हों, उनमें से निवृत्त होने वालों का निर्धारण, आपसी सहमति के अभाव में तथा ऐसी किसी सहमति के अधीन, लॉट (पर्ची) द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, श्रेणी-क का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री रविन्द्र कुमार (डीआईएन: 10053514), श्रेणी-ख का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री संजय कुमार (डीआईएन: 10055051)

तथा किसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व न करने वाली श्रीमती संगीता (डीआईएन: 10052965) की आगामी वार्षिक आम सभा में चक्रानुक्रम से निवृत्ति पारस्परिक रूप से निर्धारित की गई।

श्री रविन्द्र कुमार (डीआईएन: 10053514) तथा श्रीमती संगीता (डीआईएन: 10052965) की पुनर्नियुक्ति अनुच्छेद 9.6 (ii) के अनुसार होगी।

समीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात, उत्पादक निदेशक श्री विश्वजीत पंवार (डीआईएन: 11251853) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 के अनुसार 15 जून, 2026 से कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया।

निदेशक मंडल की संरचना एवं आगामी वार्षिक आम सभा में निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 से 9.6 निदेशक मंडल के संघटन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 9.4 सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के मानदंड उपबंधित करता है तथा अनुच्छेद 9.5 यह उपबंधित करता है कि यथासंभव, मंडल में प्रतिनिधित्व संबंधित श्रेणी के संरक्षण (पैट्रोनेज) पर आधारित होगा। संरक्षण के आधार पर सदस्यों को तीन भिन्न श्रेणियों, अर्थात् श्रेणी-A, श्रेणी-B एवं श्रेणी-C में वर्गीकृत करने के मानदंड कंपनी की प्रथम वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सदस्यों द्वारा संरक्षण मानदंडों की पूर्ति एवं अपूर्ति के संबंध में सदस्य आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि 31 मार्च, 2026 को कुल सदस्यों में से 47% ने अपनी-अपनी श्रेणी के सभी विहित संरक्षण मानदंड पूरे किए हैं।

कुल सदस्यों के इन 47% में से 6% श्रेणी-A, 12% श्रेणी-B तथा 82% श्रेणी-C के रहे। जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त श्रेणी-A, श्रेणी-B एवं श्रेणी-C के सदस्यों द्वारा आपस में प्रदाय किए गए दुग्ध परिमाण (संरक्षण) का आनुपातिक प्रतिशत क्रमशः 31%, 24% एवं 45% रहा। प्रत्येक श्रेणी के संरक्षण के आधार पर मंडल में सदस्यों की प्रत्येक श्रेणी के प्रतिनिधित्व हेतु मंडल का संघटन श्रेणी-A के लिए 3 निदेशक, श्रेणी-B के लिए 3 निदेशक तथा श्रेणी-C के लिए 5 निदेशक होता है। मंडल अनुच्छेद 9.5 की अपेक्षा निम्नानुसार पूरी करेगा।

श्रेणी-A के निदेशक

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसरण में, कंपनी की श्रेणी-A का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक श्री रविन्द्र कुमार (डीआईएन: 10053514) कंपनी की आगामी 6वीं वार्षिक आम सभा में निवृत्त होंगे तथा पात्र होने के नाते उन्होंने निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के मानदंड पूरे किए हैं और नामांकन समिति ने उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु मंडल को संस्तुति की है।

श्रेणी-B के निदेशक

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसरण में, "श्रेणी-B का प्रतिनिधित्व करने वाले" कंपनी के निदेशक श्री संजय कुमार (डीआईएन: 10055051) कंपनी की आगामी 6वीं वार्षिक आम सभा में निवृत्त होंगे।

श्रेणी-C के निदेशक

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसरण में, "श्रेणी-C का प्रतिनिधित्व करने वाली" कंपनी की निदेशक श्रीमती संगीता (डीआईएन: 10052965) कंपनी की आगामी 6वीं वार्षिक आम सभा में निवृत्त होंगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, "नामांकन समिति" ने श्रेणी-C का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 (तीन) सदस्यों की कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु मंडल को संस्तुति की है।

निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अंतर्गत अनुज्ञेय रूप से निदेशकों की कुल संख्या श्रेणी-A में 3 निदेशक, श्रेणी-B में 5 निदेशक तथा श्रेणी-C में 3 निदेशक होंगे।

नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के नाम एवं अर्हताओं वाला विवरण कंपनी की 6वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन हेतु सूचना के साथ संलग्न है।

6वीं वार्षिक आम सभा में एवं उसके पश्चात निदेशक मंडल का संघटन

श्रेणी 2025-26	सदस्यों की संख्या	परिमाण %	प्रति श्रेणी निदेशकों की कुल संख्या	विद्यमान निदेशक	रिक्ति
श्रेणी-A	2044	31	3	3	1
श्रेणी-B	4238	24	3	6	0
श्रेणी-C	28418	45	5	1	3
कोई श्रेणी नहीं	-	-	-	1	0
कुल	34700	100	11	11	4

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी को अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना अपेक्षित नहीं है।

मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के उत्पादक निदेशकों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किया गया:

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की तिथि	क्या सभी नए उत्पादक निदेशकों ने भाग लिया
1.	पॉलिसी गवर्नेंस	27 एवं 28 मार्च, 2026	हां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निदेशकों हेतु कोई अन्य प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में, कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि—

- a) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं सहपठित लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है।
- b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया तथा उन्हें संगत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय एवं आकलन किए जो युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हैं, जिससे कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत हो।
- c) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पहचान हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे 'चालू कारोबार' (गोइंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किए हैं।
- e) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रणालियां विकसित की हैं तथा ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में समुचित एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी परिसंपत्तियां सुरक्षित एवं संरक्षित रहें तथा लेनदेन प्राधिकृत, अभिलिखित एवं सही रूप से प्रतिवेदित हों। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा अभिकल्पना अथवा परिचालन में कोई प्रतिवेदनीय महत्वपूर्ण दुर्बलता नहीं पाई गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अनुसरण में, मेसर्स आरएसएम एस्टीमेट्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है तथा मूल्य की दृष्टि से अधिकांश लेनदेन की समवर्ती लेखापरीक्षा की है।

इसके अतिरिक्त, मंडल ने मेसर्स गोयल पारुल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को कंपनी का समवर्ती लेखापरीक्षक नियुक्त किया है, ताकि वे:

- प्रत्येक क्रय आदेश का सत्यापन कर सकें जिससे जारी एवं लंबित क्रय आदेशों सहित उनकी शुद्धता, प्रामाणिकता तथा प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके;

- प्रति आदाता ₹ 1,000 से अधिक के सभी लेनदेन की पूर्व-लेखापरीक्षा कर सकें, जिससे यह सुनिश्चित हो कि वे कंपनी की आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं एवं सुसंगत विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं;
- वित्तीय लेनदेन के समर्थक दस्तावेजों का सत्यापन, उनकी प्रामाणिकता एवं पूर्णता की जांच कर सकें;
- मंडल के समक्ष प्रस्तुत वित्तीय आंकड़ों का सत्यापन कर सकें तथा उनकी शुद्धता आदि के संदर्भ में कंपनी के मंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।

वैधानिक लेखापरीक्षक

- मेसर्स एस. बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की प्रथम वार्षिक आम सभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयोजित होने वाली कंपनी की 6वीं वार्षिक आम सभा की समाप्ति तक पद धारण करने हेतु नियुक्त किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की लेखापरीक्षक रिपोर्ट में कोई अर्हता, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत मंडल को कंपनी में उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किए गए कपट का कोई ऐसा प्रकरण प्रतिवेदित नहीं किया है जिसका विवरण इस रिपोर्ट में उल्लिखित किया जाना अपेक्षित हो।

आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा मेसर्स आरएसएम एस्टीट्यूट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षक वर्ष में दो बार सभी प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में विस्तृत लेखापरीक्षा करते हैं तथा अपनी रिपोर्ट मंडल को प्रस्तुत करते हैं।

होल्टिंग /सहायक/सहयोगी कंपनियां

कंपनी की कोई धारक/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

जमा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 सहपठित कंपनी (जमा स्वीकरण) नियम, 2014, यथासंशोधित, के अर्थ के अंतर्गत न तो कोई जमा स्वीकार की है और न ही नवीकृत की है।

ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अर्थ के अंतर्गत न तो कोई ऋण प्रदान किया है, न कोई गारंटी अथवा प्रतिभूति दी है और न ही कोई निवेश किया है।

संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं एवं व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए सभी संबंधित पक्ष लेनदेन उचित दूरी (आर्म्स लेंथ) के आधार पर तथा व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए थे। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा अन्य अभिहित व्यक्तियों के साथ कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया। अतः प्ररूप AOC-2 में प्रकटन अपेक्षित नहीं है। तथापि, लेखांकन मानक-18 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुसार वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का प्रकटन 31 मार्च, 2026 की तुलना-पत्र की टिप्पणी संख्या 34 में दिया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी. एस. आर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 सहपठित कंपनी (सीएसआर) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्य किए हैं तथा सीएसआर नीति अंगीकृत की है, जो कंपनी की वेबसाइट <https://www.haripmilk.com/csr> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसरण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित भूख, गरीबी एवं कुपोषण के उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता गतिविधियों के संवर्धन पर ₹ 18,05,786 का सीएसआर व्यय किया। उपर्युक्त सीएसआर व्यय, हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सीएसआर परियोजना हेतु कार्यान्वयन अभिकरण एनडीडीबी न्यूट्रिशन फॉर फाउंडेशन, गुजरात द्वारा संचालित गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के बच्चों के "पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार" परियोजना के अंतर्गत किया गया।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत विहित प्रारूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध-1 में दी गई है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन, जोखिमों की पहचान, आकलन एवं प्राथमिकता निर्धारण की वह प्रक्रिया है, जिसके पश्चात अनिष्टकर घटनाओं की संभाव्यता और/अथवा प्रभाव को न्यूनतम करने, उनका अनुश्रवण करने तथा उन्हें शमित/नियंत्रित करने अथवा अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करने हेतु समन्वित प्रयास किए जाते हैं। इन प्रक्रियाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि प्रबंधन एक समुचित रूप से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करे। कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिमों की पहचान की गई

है तथा व्यावसायिक, वित्तीय, मानव एवं सांविधिक अनुपालन आदि क्षेत्रों में उनकी शमन प्रक्रिया/उपाय तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की है तथा मंडल द्वारा इसे अंगीकृत किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(i) ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए, ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ii) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

अर्जन – शून्य;

व्यय – शून्य।

कंपनी में सामान्य कार्यालय एवं प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त कोई विद्युत उपभोग नहीं है।

सतर्कता तंत्र

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत अपेक्षित सतर्कता तंत्र संबंधी नीति अंगीकृत की है, जिससे निदेशकों एवं कर्मचारियों को ऐसे किसी भी विषय को प्रबंधन के ध्यान में लाने हेतु समुचित माध्यम उपलब्ध हों, जो कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन अथवा उसके विरुद्ध प्रतीत होता हो।

कर्मचारियों को व्हिसल ब्लोइंग के माध्यम से अपनी चिंताएं व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। सतर्कता तंत्र (व्हिसल ब्लोअर नीति) कंपनी की वेबसाइट <https://www.haritpmilk.com/wp-content/uploads/2025/04/Vigil-Mechanism-Policy.pdf> पर उपलब्ध है।

नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण

विनियामकों, न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण एवं तात्त्विक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू कारोबार स्थिति एवं भविष्य के परिचालन को प्रभावित करता हो।

लागत अभिलेख

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 तथा उसमें किए गए किसी भी संशोधन के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर निदेशक मंडल की टिप्पणी

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रेक्षण, लेखों से संबंधित सुसंगत टिप्पणियों एवं लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाने पर स्वतः स्पष्ट हैं तथा किसी अतिरिक्त टिप्पणी की अपेक्षा नहीं रखते।

सचिवीय मानक

कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

वार्षिक विवरणी का वेब लिंक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3), धारा 134(3)(a) सहपठित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2026 की कंपनी की वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट <https://www.haritpmilk.com/annual-report/> पर उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में लैंगिक उत्पीड़न की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत न तो कोई आवेदन किया गया और न ही किसी बैंक के साथ कोई एकमुश्त समाधान (वन-टाइम सेटलमेंट) किया गया।

कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने अधिनियम के अंतर्गत विहित सीमा से अधिक वेतन प्राप्त नहीं किया। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 सहपठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 5(2) के अनुसरण में कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

एकमुश्त समाधान के समय किए गए मूल्यांकन तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण तथा उसके कारण

कंपनी पर लागू नहीं।

आभार एवं अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान सहयोग एवं योगदान हेतु सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों, बैंकों तथा सांविधिक एवं आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशकगण इस उपलब्धि को प्राप्त करने हेतु सभी स्तरों के कर्मचारियों के परिश्रम, समर्पण एवं प्रतिबद्धता के प्रति अपनी हार्दिक सराहना अभिलिखित करते हैं।

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान सहयोग एवं समर्थन हेतु एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रति भी अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता /-

अंजू देवी

निदेशक और अध्यक्ष

डीआईएन: 09377125

स्थान: मेरठ

तारीख:

अनुलग्नक- 1

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 सहपठित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसरण में]

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी ने सीएसआर नीति अंगीकृत की है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII सहपठित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 में गणित गतिविधियों की विस्तृत श्रेणी सम्मिलित है, जो मुख्यतः निम्नलिखित से युक्त है:

- a) स्वास्थ्य
- b) शिक्षा
- c) स्वच्छता सुविधाएं
- d) पर्यावरणीय संधारणीयता
- e) लैंगिक समानता का संवर्धन
- f) व्यावसायिक कौशल में सुधार
- g) राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का संरक्षण
- h) सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हितार्थ उपाय
- i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अथवा पीएम केयर्स फंड अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राहत एवं कल्याण हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान
- j) इनक्यूबेटरों अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में अंशदान
- k) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियां संचालित करना अथवा आपदा प्रबंधन प्रणाली में संलग्न होना।

2. सीएसआर समिति का संघटन: लागू नहीं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसरण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है। अतः कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी का निदेशक मंडल कर रहा है।)

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशकत्व की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान भाग ली गई सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं				

3. वेब-लिंक जहां सी. एस. आर समिति का संघटन, सीएसआर नीति तथा मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं:
<https://www.haritpmilk.com/csr/>

4. नियम 8 की उप-नियम (3) के अनुसरण में की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन की कार्यकारी सारांश सहित वेब-लिंक, यदि लागू हो: लागू नहीं

5. धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹ 9,02,89,328

(a) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹ 18,05,787

(b) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सी. एस. आर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

(c) वित्तीय वर्ष हेतु समायोजित (सेट ऑफ) की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: शून्य

(d) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)]: ₹ 18,05,787

6. (क) सी. एस. आर परियोजनाओं (चालू परियोजना एवं चालू परियोजना से इतर, दोनों) पर व्यय की गई राशि: ₹ 18,05,787

वित्तीय वर्ष हेतु चालू परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान (राज्य/जिला)	परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि (₹)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय राशि (₹)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹)	कार्यान्वयन का ढंग – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का ढंग – कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से
लागू नहीं										

वित्तीय वर्ष हेतु चालू परियोजनाओं से इतर परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान – राज्य	परियोजना का स्थान – जिला	परियोजना पर व्यय राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का ढंग – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम	कुपोषण उन्मूलन स्वास्थ्य देखभाल	हां	उत्तर प्रदेश	मेरठ	₹18,05,787	नहीं	एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन	CSR00004168

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान - राज्य	परियोजना का स्थान - जिला	परियोजना पर व्यय राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का ढंग - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
						₹18,05,787			

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि: 0

(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल व्यय राशि [(क)+(ख)+(ग)]: ₹ 18,05,787

(ङ) वित्तीय वर्ष हेतु व्ययित अथवा अव्ययित सी. एस. आर राशि: ₹ 18,05,787

वित्तीय वर्ष हेतु कुल व्यय राशि	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि - राशि	अंतरण की तिथि	धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि - निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
₹18,05,787	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(च) समायोजन (सेट-ऑफ) हेतु अधिक व्यय राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	18,05,787
(ii)	वित्तीय वर्ष हेतु कुल व्यय राशि	18,05,787
(iii)	वित्तीय वर्ष हेतु अधिक व्यय राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में व्यय राशि (₹ में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो - राशि (₹ लाख में) / अंतरण की तिथि	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
लागू नहीं							

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित अथवा अर्जित की गई है: लागू नहीं

यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें:

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि से इस प्रकार सृजित अथवा अर्जित परिसंपत्ति(यों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण, जिसमें संपत्ति का पूर्ण पता एवं स्थान सम्मिलित हो	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	सृजन की तिथि	व्यय की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की सीएसआर इकाई/प्राधिकारी/लाभार्थी का विवरण (सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो / नाम / पंजीकृत पता)
लागू नहीं					

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असफल रही है, तो उसका/उनके कारण विनिर्दिष्ट करें: लागू नहीं

स्थान: मेरठ
दिनांक:

हस्ता./-
हितेश पूनिया
मुख्य कार्यपालक एवं निदेशक
डीआईएन: 09443126

हस्ता./-
अंजू देवी
निदेशक एवं अध्यक्ष
डीआईएन: 09377125

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (इसके पश्चात "कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2026 का तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां सम्मिलित हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं भी सम्मिलित हैं।

हमारे अभिमत में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात "अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचनाएं यथा-अपेक्षित रीति से प्रदान करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों ("लेखांकन मानक") एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2026 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के उसके लाभ एवं उसके नकदी प्रवाह का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व" खंड में आगे दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता तथा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित हैं।

वित्तीय विवरणों एवं उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर सूचनाएं

- कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, किंतु उनमें वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचनाओं को आच्छादित नहीं करता तथा हम उन पर किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

- वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान से तात्विक रूप से असंगत हैं, अथवा अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्या प्रतीत होती हैं।
- यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन अन्य सूचनाओं में कोई तात्विक मिथ्या कथन है, तो हमें उस तथ्य को प्रतिवेदित करना अपेक्षित है। इस संबंध में हमें कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करना है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन एवं निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक सम्मिलित हैं, के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करें। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पहचान हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; तथा ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी सम्मिलित है, जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से कार्यरत रहे हों, और जो ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित हों जो सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हों तथा कपट अथवा त्रुटि के कारण होने वाले तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन एवं निदेशक मंडल चालू कारोबार (गोइंग कंसर्न) के रूप में कंपनी की निरंतरता की क्षमता के आकलन, यथालागू चालू कारोबार से संबंधित विषयों के प्रकटन तथा लेखांकन के चालू कारोबार आधार के उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं, जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी का परिसमापन करने अथवा परिचालन बंद करने का आशय न रखता हो, अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई यथार्थपरक विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस विषय में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से कपट अथवा त्रुटि के कारण होने वाले तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, तथा ऐसी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी विद्यमान तात्विक मिथ्या कथन का सदैव पता लगा ही लेगी। मिथ्या कथन कपट अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें तात्विक माना जाता है यदि, एकल रूप से अथवा सामूहिक रूप से, यह युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो कि वे इन

वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम संपूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा व्यावसायिक संशयवृत्ति बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- कपट अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना एवं निष्पादन करना, तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित हों। कपट से उत्पन्न तात्विक मिथ्या कथन का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, कूटरचना, आशयपूर्ण लोप, दुर्व्यपदेशन अथवा आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण सम्मिलित हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना हेतु लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस विषय पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं तथा ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्यरत हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की समुचितता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों एवं संबंधित प्रकटनों की युक्तियुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू कारोबार आधार के उपयोग की समुचितता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों से संबंधित कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो चालू कारोबार के रूप में कंपनी की निरंतरता की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करना अपेक्षित है, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपना अभिमत उपांतरित करना अपेक्षित है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को चालू कारोबार के रूप में निरंतर बने रहने से रोक सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अंतर्वस्तु का, प्रकटनों सहित, मूल्यांकन करना, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त होती हो।

तात्विकता वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथनों का वह परिमाण है, जो एकल रूप से अथवा सामूहिक रूप से, इस बात को संभाव्य बनाता है कि वित्तीय विवरणों के किसी युक्तियुक्त रूप से जानकारी उपयोगकर्ता

के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र के नियोजन तथा अपने कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में; एवं (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी मिथ्या कथन के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु, परिमाणात्मक तात्त्विकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ, अन्य विषयों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित क्षेत्र एवं समय-निर्धारण तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में संसूचना करते हैं, जिनमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई कोई भी महत्वपूर्ण कमी सम्मिलित है।

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उन्हें उन सभी संबंधों एवं अन्य विषयों की संसूचना करते हैं जिनके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह समझा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित रक्षोपायों की भी।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा-अपेक्षित, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

- क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे।
- ख) हमारे अभिमत में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा-बहियां रखी गई हैं, जहां तक वह उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, सिवाय भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से अनुरक्षित ऐसी लेखा-बहियों का दैनिक आधार पर बैकअप न रखे जाने के (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 45 देखें) तथा नीचे (i)(vi) में उल्लिखित ऑडिट ट्रेल संबंधी अपेक्षा का अनुपालन न किए जाने के।
- ग) इस रिपोर्ट में विचारित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।
- घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ङ) निदेशकों से 31 मार्च, 2026 को प्राप्त तथा निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, 31 मार्च, 2026 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त किए जाने से निरहित नहीं है।
- च) लेखों के अनुरक्षण एवं उससे संबंधित अन्य विषयों से संबंधित उपांतरण उपर्युक्त पैरा (ख) में यथा-उल्लिखित हैं।
- छ) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध क" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

ज) अधिनियम की धारा 197(16), यथासंशोधित, की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे अभिमत में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होने के कारण, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है।

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे अभिमत में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

- i. कंपनी के विरुद्ध ऐसा कोई लंबित वाद नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 43 देखें)।
- ii. कंपनी के पास व्युत्पत्ती संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं थीं जिनके लिए कोई तात्त्विक पूर्वानुमेय हानि हो।
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।
- iv. (क) प्रबंधन ने अभ्यावेदन किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 38 में प्रकट किया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी निकायों सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) अथवा निकाय(यों) ("मध्यवर्ती") को अथवा उनमें कोई निधि (चाहे उधार ली गई निधियों से अथवा शेयर प्रीमियम से अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा प्रकार की निधियों से) इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में अभिलिखित हो अथवा अन्यथा, अग्रिम, उधार अथवा निवेशित नहीं की गई है कि मध्यवर्ती प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी रीति से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगा अथवा उनमें निवेश करेगा, अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा तत्सदृश प्रदान करेगा।
(ख) प्रबंधन ने अभ्यावेदन किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 38 में प्रकट किया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी निकायों सहित किसी भी व्यक्ति(यों) अथवा निकाय(यों) ("वित्तपोषक पक्ष") से इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में अभिलिखित हो अथवा अन्यथा, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है कि कंपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषक पक्ष द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी रीति से पहचाने गए अन्य

व्यक्तियों अथवा निकायों ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी अथवा उनमें निवेश करेगी, अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा तत्सदृश प्रदान करेगी।

(ग) परिस्थितियों में युक्तियुक्त एवं समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निष्पादन के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ड) के उप-खंड (i) एवं (ii) के अंतर्गत उपर्युक्त (क) एवं (ख) में यथा-प्रदत्त अभ्यावेदनों में कोई तात्त्विक मिथ्या कथन है।

- v. पूर्ववर्ती वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जो वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित एवं भुगतान किया गया, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40 में उल्लिखित है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष हेतु अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। इस प्रकार प्रस्तावित लाभांश यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

- vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच सम्मिलित थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अपनी लेखा-बहियों के अनुरक्षण के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर प्रणालियों का उपयोग किया है, जिनमें:

(क) 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि हेतु अपनी लेखा-बहियों के अनुरक्षण के लिए प्रयुक्त एक लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) अभिलेखन की सुविधा है तथा सॉफ्टवेयर प्रणालियों में अभिलिखित सभी सुसंगत लेनदेन हेतु यह सुविधा वर्ष भर कार्यरत रही है। इसके अतिरिक्त, अपनी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा से छेड़छाड़ का कोई प्रकरण दृष्टिगोचर नहीं हुआ;

(ख) 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 की अवधि हेतु अपनी लेखा-बहियों के अनुरक्षण के लिए प्रयुक्त एक लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) अभिलेखन की सुविधा है तथा सॉफ्टवेयर में अभिलिखित सभी सुसंगत लेनदेन हेतु एप्लीकेशन स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा उक्त अवधि भर कार्यरत रही है। यह सॉफ्टवेयर एसएएस (SaaS) आधारित है तथा कंपनी को अंतर्निहित डेटाबेस स्तर तक पहुंच प्राप्त नहीं है। अतः हम डेटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा के संबंध में तथा इस विषय में कि क्या ऑडिट ट्रेल सुविधा से छेड़छाड़ का कोई प्रकरण हुआ, टिप्पणी करने में असमर्थ हैं;

(ग) क्रय अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु प्रयुक्त एक लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल सुविधा नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु सक्षम एवं कार्यरत रही ऑडिट ट्रेल को कंपनी द्वारा अभिलेख प्रतिधारण संबंधी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार परिरक्षित रखा गया है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("उक्त आदेश") द्वारा यथा-अपेक्षित, हम "अनुबंध ख" में उक्त आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक कथन प्रस्तुत करते हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग IV की धारा 378ZG द्वारा यथा-अपेक्षित, हम "अनुबंध ग" में उक्त धारा में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक कथन प्रस्तुत करते हैं।

कृते एस. बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(पंजीकरण सं. 101496W/W100774)

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: सितंबर 08, 2026

विनीत रुस्तगी
पार्टनर
(सदस्यता सं. 505882)
(यूडीआईएन: 26505882YME0IT3048)

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध "क"

(समसामयिक तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" खंड के पैरा 1(छ) में निर्दिष्ट)

कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात "अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (इसके पश्चात "कंपनी") के 31 मार्च, 2026 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन एवं निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट एवं त्रुटियों के निवारण एवं पहचान, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयबद्ध तैयारी सहित, व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से कार्यरत रहे हों।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी" ("मार्गदर्शी टिप्पणी") तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, जहां तक वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं, की है। उन मानकों एवं मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का नियोजन एवं निष्पादन इस प्रकार करें कि इस विषय में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित किए गए थे तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक दृष्टियों से प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन सम्मिलित है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी तात्त्विक दुर्बलता के विद्यमान होने के जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना एवं परिचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना सम्मिलित रहा। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें कपट अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में तात्त्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो युक्तियुक्त विस्तार से, कंपनी के लेनदेन एवं परिसंपत्तियों के व्ययों को शुद्ध एवं उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन इस प्रकार अभिलिखित किए जाते हैं जिससे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी संभव हो, तथा यह कि कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; एवं (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा व्यय, जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्त्विक प्रभाव पड़ सकता हो, के निवारण अथवा समयबद्ध पहचान के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें दुरभिसंधि अथवा प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों के अनुचित अतिक्रमण की संभावना सम्मिलित है, त्रुटि अथवा कपट के कारण तात्त्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता न चल पाए। साथ ही, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का भावी अवधियों हेतु प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में हास हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी

द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी मानदंडों के आधार पर, कंपनी में सभी तात्विक दृष्टियों से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं तथा 31 मार्च, 2026 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

कृते एस. बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(पंजीकरण सं. 101496W/W100774)

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: सितंबर 08, 2026

विनीत रुस्तगी
पार्टनर
(सदस्यता सं. 505882)
(यूडीआईएन: 26505882YMEOIT3048)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ख"

(समसामयिक तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" खंड के पैरा 2 में निर्दिष्ट)

हमारे द्वारा मांगी गई एवं कंपनी द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई लेखा-बहियों एवं अभिलेखों के आधार पर तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम कथन करते हैं कि:

- (i) (क) A. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा पूंजीगत कार्य-प्रगति के परिमाणात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

B. कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(ख) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा पूंजीगत कार्य-प्रगति के सत्यापन का ऐसा कार्यक्रम है जिससे सभी मदें प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आच्छादित हो जाएं, जो हमारे अभिमत में कंपनी के आकार एवं उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है। इस कार्यक्रम के अनुसरण में, वर्ष के दौरान सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण भौतिक सत्यापन हेतु देय थे तथा प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उनका भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई तात्त्विक विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई।

(ग) कंपनी के पास कोई स्थावर संपत्ति नहीं है, अतः उक्त आदेश के खंड (i)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित 2016) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी बेनामी संपत्ति के धारण के संबंध में वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है और न ही 31 मार्च, 2026 को कोई कार्यवाही लंबित है।

- (ii) (क) पारगमन में माल को छोड़कर, माल-सूची (इन्वेंटरी) का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तियुक्त अंतरालों पर भौतिक सत्यापन किया गया। हमारे अभिमत में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा किए गए ऐसे सत्यापन का आच्छादन एवं प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं उसके परिचालन की प्रकृति को देखते हुए समुचित है। पारगमन में माल के संबंध में, माल की सुपुर्दगी वर्षांत के पश्चात कर दी गई है। माल-सूची के ऐसे भौतिक सत्यापन/यथालागू निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं पर, लेखा-बहियों से तुलना करने पर, माल-सूची की प्रत्येक श्रेणी हेतु सामूहिक रूप से 10% अथवा उससे अधिक की कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के किसी भी समय कंपनी को बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत नहीं की गई है, अतः उक्त आदेश के खंड (ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व भागीदारियों अथवा किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी अथवा प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, तथा ऋण की प्रकृति के कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण या अग्रिम नहीं दिए हैं, अतः उक्त आदेश के खंड (iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (iv) कंपनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई निवेश नहीं किया है अथवा कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, अतः उक्त आदेश के खंड (iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (v) कंपनी ने कोई जमा अथवा ऐसी राशियां स्वीकार नहीं की हैं जिन्हें जमा माना जाता हो। अतः उक्त आदेश के खंड (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vi) केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत कंपनी की गतिविधियों हेतु लागत अभिलेखों का अनुरक्षण विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः उक्त आदेश के खंड (vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vii) सांविधिक देयों के संबंध में:

(क) वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आय-कर, उपकर तथा कंपनी पर लागू अन्य तात्विक सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देय सामान्यतः कंपनी द्वारा नियमित रूप से समुचित प्राधिकारियों के पास जमा किए जाते रहे हैं। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; विक्रय कर अधिनियम; सीमाशुल्क अधिनियम, 1962; उत्पाद शुल्क अधिनियम तथा मूल्य वर्धित कर अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं हैं।

वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आय-कर, उपकर तथा अन्य तात्विक सांविधिक देयों के संबंध में 31 मार्च, 2026 को देय होने की तिथि से छह मास से अधिक की अवधि से बकाया कोई अविवादित संदेय राशि नहीं है।

(ख) उपर्युक्त उप-खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसे कोई सांविधिक देय नहीं थे जो 31 मार्च, 2026 को विवादों के कारण जमा न किए गए हों।

- (viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारणों में आय के रूप में अभ्यर्पित अथवा प्रकट की गई पूर्व में अनभिलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं थे।
- (ix) (क) हमारे अभिमत में, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण अथवा उधार की चुकौती में अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा साशय चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा हमारे अभिमत में, कंपनी ने वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष में अनुपयोजित रही सीमा तक के सावधि ऋणों तथा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा लिए गए सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया है जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे, सिवाय ₹ 222.27 लाख के, जो 31 मार्च, 2026 को अनुपयोजित रहे।

(घ) कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई अल्पकालिक निधि नहीं ली है। अतः उक्त आदेश के खंड (ix)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ङ) वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं थी, अतः उक्त आदेश के खंड (ix)(ङ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं थी, अतः उक्त आदेश के खंड (ix)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम अथवा अग्रतर सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है, अतः उक्त आदेश के खंड (x)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा पूर्णतः, अंशतः एवं वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान आवंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है, अतः उक्त आदेश के खंड (x)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (xi) (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई कपट तथा कंपनी पर कोई तात्त्विक कपट दृष्टिगोचर अथवा प्रतिवेदित नहीं हुआ है।

(ख) वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत यथाविहित प्ररूप ADT-4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

- (xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, अतः उक्त आदेश के खंड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (xiii) कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 188 का अनुपालन करती है तथा संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा-अपेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है। कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xiv) (क) हमारे अभिमत में कंपनी के पास उसके आकार एवं उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षाधीन अवधि हेतु कंपनी को जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है, जिनमें अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि को आच्छादित करने वाली, तुलन-पत्र की तिथि के पश्चात जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें सम्मिलित हैं।

(xv) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा अपने निदेशकों से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है। अतः उक्त आदेश के खंड (xvi)(क), (ख) एवं (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी (जैसा कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित है) नहीं है, तदनुसार उक्त आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा से आच्छादित वित्तीय वर्ष तथा उससे ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि नहीं उठाई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली एवं वित्तीय देयताओं के भुगतान की आयुसीमा एवं अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य सूचनाओं तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं संबंधी हमारे ज्ञान के आधार पर, तथा अभ्युपगमों के समर्थक साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को ऐसी कोई तात्त्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, तुलन-पत्र की तिथि को विद्यमान अपनी देयताओं को देय होने पर पूरा करने में समर्थ नहीं है। तथापि, हम कथन करते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी कथन करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है तथा हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएं कंपनी द्वारा देय होने पर निर्वहित कर दी जाएंगी।

(xx) कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हेतु अपेक्षित राशि पूर्णतः व्यय कर दी है तथा वर्ष हेतु कोई अव्ययित सीएसआर राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान

के अनुपालन में किसी विशेष खाते में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो। तदनुसार, उक्त आदेश के खंड (xx) के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष हेतु लागू नहीं है।

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: सितंबर 08, 2026

कृते एस. बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(पंजीकरण सं. 101496W/W100774)

विनीत रुस्तगी

पार्टनर

(सदस्यता सं. 505882)

(यूडीआईएन: 26505882YME0IT3048)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ग"

**(समसामयिक तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट"
खंड के पैरा 3 में निर्दिष्ट)**

- क. वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18 में यथा-प्रकट है। हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी भी ऋण को वसूली की दृष्टि से संदिग्ध नहीं माना गया है।
- ख. हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास हस्तगत नकदी नहीं है तथा वर्षांत को उसके पास कोई निवेश प्रतिभूतियां धारित नहीं हैं।
- ग. 31 मार्च, 2026 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विवरण 31 मार्च, 2026 को तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- घ. हमारे अभिमत में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रतीत होता हो।
- ङ. हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।
- च. हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान अथवा अभिदाय नहीं दिया है।
- छ. हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य विषय नहीं है।

कृते एस. बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(पंजीकरण सं. 101496W/W100774)

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: सितंबर 08, 2026

विनीत रुस्तगी
पार्टनर
(सदस्यता सं. 505882)
(यूडीआईएन: 26505882YME0IT3048)

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

31 मार्च, 2026 का तुलन-पत्र

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2026 को रुपये लाख में	31 मार्च, 2025 को रुपये लाख में
क. इक्विटी एवं देयताएं			
1. शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	1,471.66	1,178.24
(ख) आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	4	2,560.76	1,939.79
		4,032.42	3,118.03
2. आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	29	–	22.61
3. आस्थगित अनुदान	5	968.66	825.16
4. गैर-चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालिक उधार	6	863.90	1,102.54
(ख) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	7	–	–
(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	8	739.02	640.28
(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	9	91.72	53.24
		1,694.64	1,796.06
5. चालू देयताएं			
(क) अल्पकालिक उधार	10	127.97	608.77
(ख) व्यापारिक देय	11		
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		43.69	15.07
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से इतर लेनदारों के कुल बकाया देय		3,383.73	2,423.57
(ग) अन्य चालू देयताएं	12	282.00	713.56
(घ) अल्पकालिक प्रावधान	13	11.74	10.60
		3,849.13	3,771.57
कुल योग		10,544.85	9,533.43
ख. परिसंपत्तियां			
1. गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां			

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2026 को रुपये लाख में	31 मार्च, 2025 को रुपये लाख में
(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	14.1	2,196.42	2,116.76
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	14.3	112.93	13.27
(iii) पूंजीगत कार्य-प्रगति	14.2	144.64	–
(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	15	175.93	121.69
(ग) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	16	1,200.00	–
(घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	7	83.40	58.27
		3,913.32	2,309.99
2. चालू परिसंपत्तियां			
(क) माल-सूची	17	387.27	229.32
(ख) व्यापारिक प्राप्त्य	18	2,704.45	1,914.74
(ग) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	19	3,343.12	4,939.60
(घ) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	20	45.92	12.98
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	150.77	126.80
		6,631.53	7,223.44
कुल योग		10,544.85	9,533.43

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. बी. बिलिमोरिया एंड

कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

विनीत रुस्तगी
पार्टनर
स्थान: दिल्ली
दिनांक: 08/09/2026

वीरेन्द्र
निदेशक
डीआईएन: 09377062
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

श्रीमान नारायण पांडेय
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F7763
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

अंजू देवी
निदेशक
डीआईएन: 09377125
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

डॉ. हितेश पूनिया
मुख्य कार्यपालक एवं
निदेशक
डीआईएन: 09443126
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

सौरभ प्रकाश
प्रमुख – लेखा एवं वित्त
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में
1. परिचालन से राजस्व	22	60,254.76	45,393.45
2. अन्य आय	23	389.92	422.53
3. कुल आय (1+2)		60,644.68	45,815.98
4. व्यय			
(क) उपभुक्त सामग्री की लागत	22	—	—
(ख) व्यापारिक स्टॉक का क्रय	24	57,287.84	42,665.43
(ग) व्यापारिक स्टॉक की माल-सूची में परिवर्तन	25	(125.24)	29.23
(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	26	448.77	412.97
(ङ) वित्त लागत	27	77.37	116.99
(च) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	14.4	321.17	296.98
(छ) अन्य व्यय	28	1,671.66	1,320.59
कुल व्यय		59,681.58	44,842.19
5. कर पूर्व लाभ (3-4)		963.10	973.79
6. कर व्यय:			
(क) चालू कर		273.00	268.00
(ख) आस्थगित कर भार/(जमा)		(25.13)	(17.09)
कुल कर व्यय		247.87	250.91
7. वर्ष का लाभ (5-6)		715.23	722.88
8. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन: (टिप्पणी 32)			
(क) मूल (रुपये)		58.06	75.03
(ख) तनुकृत (रुपये)		58.06	75.03

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार एवं उसकी ओर से

निदेशक मंडल के लिए

कृतेएस.बी.लिमोरियाएंडकंपनीएलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

विनीत रुस्तगी
पार्टनर
स्थान: दिल्ली
दिनांक: 08/09/2026

वीरेन्द्र
निदेशक
डीआईएन: 09377062
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

अंजू देवी
निदेशक
डीआईएन: 09377125
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

डॉ. हितेश पूनिया
मुख्य कार्यपालक एवं
निदेशक
डीआईएन: 09443126
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

श्रीमान नारायण पांडेय
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F7763
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

सौरभ प्रकाश
प्रमुख – लेखा एवं वित्त
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर पूर्व लाभ	963.10	973.79
समायोजन:		
कर व्यय	—	—
वित्त लागत	77.37	116.99
ब्याज आय	(326.75)	(284.93)
अपलिखित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	—	0.28
वापस लिखी गई देयताएं	—	88.58
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	321.17	296.98
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	1,034.89	1,191.69
कार्यशील पूंजी में उतार-चढ़ाव हेतु समायोजन:		
माल-सूची में (वृद्धि)/कमी	(183.27)	46.42
व्यापारिक प्राप्त में (वृद्धि)/कमी	(789.71)	(144.74)
ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(32.94)	33.58
व्यापारिक देय में वृद्धि/(कमी)	988.77	(82.83)
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	39.62	11.85
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(567.15)	(778.87)
अन्य दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि/(कमी)	98.73	206.25
परिचालन से सृजित नकदी	588.95	483.35
शुद्ध आयकर भुगतान	(270.21)	(395.77)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह – (क)	318.74	87.58
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय (प्राप्त पूंजीगत अनुदान का निवल)	(295.60)	(671.40)
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(104.08)	(2.13)
प्राप्त ब्याज	302.78	248.20
सावधि जमाओं से शुद्ध प्राप्तियां	(51.28)	(392.91)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह – (ख)	(148.18)	(818.24)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां (चुकोतियों का निवल)	272.38	207.79
दीर्घकालिक उधार से प्राप्तियां	314.35	97.22
दीर्घकालिक उधार का पुनर्भुगतान	(1,033.79)	(598.12)
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	–	22.61
भुगतान किया गया लाभांश	(94.26)	(74.88)
भुगतान की गई वित्त लागत	(77.37)	(116.99)
कार्यशील पूंजी उधार में वृद्धि/(कमी)	–	–
वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह – (ग)	(618.69)	(462.37)
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में शुद्ध कमी (क+ख+ग)	(448.13)	(1,193.03)
वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	836.77	2,029.80
वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	388.64	836.77
निम्नलिखित तिथि को रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के घटक:		
हस्तगत रोकड़	–	–
बैंकों के पास शेष:		
– चालू खातों में	166.37	131.18
– बचत खातों में	222.27	705.59
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	388.64	836.77
जमाएं (3 मास से अधिक की मूल परिपक्वता)	2,953.33	4,102.04
बैंक उधार के प्रति प्रतिभूति के रूप में धारित शेष	–	–
नामित (अर्माईड) खातों में:		
– अदत्त लाभांश खाते	1.15	0.79
तुलन-पत्र के अनुसार रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 19)	3,343.12	4,939.60

टिप्पणी: उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक (एएस)-3 "नकदी प्रवाह विवरण" में उल्लिखित अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. बी. बिलिमोरिया एंड निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

विनीत रुस्तगी
पार्टनर
स्थान: दिल्ली
दिनांक: 08/09/2026

वीरेन्द्र
निदेशक
डीआईएन: 09377062
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

अंजू देवी
निदेशक
डीआईएन: 09377125
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

डॉ. हितेश पूनिया
मुख्य कार्यपालक एवं
निदेशक
डीआईएन: 09443126
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

श्रीमान नारायण पांडेय
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F7763
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

सौरभ प्रकाश
प्रमुख – लेखा एवं वित्त
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

1. कंपनी संबंधी जानकारी

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का निगमन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 26 अक्टूबर, 2021 को, उसी तिथि के निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से हुआ था।

कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य में दुग्ध संप्राप्ति परिचालन में संलग्न है। कंपनी उत्तर प्रदेश के गांवों में स्थित "दुग्ध संग्रह केंद्रों" (एमपीपी) के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से दूध की संप्राप्ति करती है तथा अपने ग्राहकों को उसका विक्रय करती है। कंपनी अपने सदस्यों को घी एवं पशु आहार का व्यापार भी करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्नानुसार हैं:

(क) लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 सहपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के नियम 7 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 का अधिनियम") के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन हेतु तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत उपचय (प्रोद्भवन) आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ख) आकलनों का प्रयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन को ऐसे आकलन एवं अभ्युपगम करने होते हैं जो वर्ष के दौरान प्रतिवेदित परिसंपत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा प्रतिवेदित आय एवं व्यय की राशियों में विचारित होते हैं। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण एवं युक्तियुक्त हैं। इन आकलनों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं तथा वास्तविक परिणामों एवं आकलनों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते/मूर्त रूप लेते हैं।

(ग) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनार्थ)

रोकड़ में बैंकों के पास शेष तथा बैंकों के पास मांग जमाएं सम्मिलित हैं। रोकड़ समतुल्य ऐसे अल्पकालिक शेष (अर्जन की तिथि से तीन मास अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले) एवं अत्यधिक तरल निवेश हैं जो सहजता से ज्ञात रोकड़ राशियों में परिवर्तनीय हों तथा जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य हो।

(घ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति से प्रतिवेदित किए जाते हैं, जिसमें असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों तथा विगत अथवा भावी नकदी प्राप्तियों या

भुगतानों के आस्थगन या उपचय हेतु समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश एवं वित्तपोषण गतिविधियों के नकदी प्रवाह उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किए जाते हैं।

(ड) राजस्व मान्यता

विक्रय को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों एवं प्रतिफलों के ग्राहकों को अंतरण पर मान्यता दी जाती है, जो सामान्यतः ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के साथ ही होता है।

(च) अन्य आय

जमाओं पर ब्याज आय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है।

(छ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत में से संचित मूल्यहास एवं हानि-क्षय (इंपेयरमेंट) हानियों, यदि कोई हों, घटाकर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में उसका क्रय मूल्य (किसी भी व्यापारिक बट्टे एवं छूट का निवल), कोई आयात शुल्क एवं अन्य कर (कर प्राधिकारियों से तत्पश्चात वसूलीयोग्य करों से इतर), परिसंपत्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने पर किया गया कोई भी प्रत्यक्षतः आरोप्य व्यय, अन्य आनुषंगिक व्यय तथा अर्हक संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अर्जन हेतु लिए गए उधार पर परिसंपत्ति के आशयित उपयोग हेतु तैयार होने की तिथि तक का ब्याज सम्मिलित है। क्रय के पश्चात संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर किया गया अनुवर्ती व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब ऐसे व्यय से उस परिसंपत्ति से भावी लाभों में उसके पूर्व निर्धारित निष्पादन स्तर से अधिक वृद्धि होती हो।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके अर्जन की लागत में से संचित परिशोधन एवं हानि-क्षय हानियां घटाकर दर्शाया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि उस परिसंपत्ति से आरोप्य भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा उसकी लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। अमूर्त परिसंपत्तियों की मूल्यहास-योग्य राशि को उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम आकलन पर सरल रेखा पद्धति से आवंटित किया जाता है।

कंपनी सॉफ्टवेयर लागत को तब पूंजीकृत करती है जब यह युक्तियुक्त रूप से आकलित हो कि सॉफ्टवेयर का स्थायी उपयोगी जीवन है। सॉफ्टवेयर पर प्रबंधन द्वारा आकलित तीन वर्ष के उपयोगी जीवन पर मूल्यहास लगाया जाता है।

(ज) पूंजीगत कार्य-प्रगति

ऐसी परिसंपत्तियां जो अपने आशयित उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आनुषंगिक व्यय तथा आरोप्य ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

(झ) मूल्यहास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विहित उपयोगी जीवन के अनुसार सरल रेखा पद्धति से प्रदान किया गया है, सिवाय परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के, जिनके

मामले में परिसंपत्ति की प्रकृति, परिसंपत्तियों के आकलित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालन दशा, प्रतिस्थापनों के विगत इतिहास, प्रत्याशित प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, विनिर्माता वारंटी एवं अनुरक्षण सहायता आदि को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सलाह के आधार पर परिसंपत्तियों का जीवन नीचे दिए अनुसार निर्धारित किया गया है।

अनुसूची II में विहित दरों से इतर मूल्यहास प्रभारित करने हेतु विचारित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
संयंत्र एवं उपकरण	10
दुग्ध कैन	4
बैटरी	5
भवन एवं पट्टाधृत परिसर	5
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10
कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर	3
कार्यालय उपकरण	5

पूर्ववर्ती वर्षों में, कंपनी ने मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ("एमडीएफवीपीएल") से ऐसी मूर्त परिसंपत्तियां अर्जित की थीं जो एमडीएफवीपीएल द्वारा अपने व्यावसायिक परिचालन हेतु प्रयोग की जा रही थीं। उन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उनके शेष उपयोगी जीवन पर प्रभारित किया जा रहा है।

मूर्त परिसंपत्तियों के संवर्धन (एडिशन) की तिथि से यथानुपात (प्रो-राटा) मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

(ज) माल-सूची

माल-सूची में व्यापारिक स्टॉक तथा भंडार एवं पुर्जे सम्मिलित हैं। माल-सूची का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है, तथा जहां आवश्यक समझा जाए वहां अप्रचलन एवं अन्य हानियों हेतु प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत पद्धति से किया जाता है। लागत में माल-सूची को उसके वर्तमान स्थान एवं दशा तक लाने में किए गए समस्त प्रभार सम्मिलित होते हैं।

(ट) अनुदान

सरकारी अनुदान एवं सहायिकियों को तब मान्यता दी जाती है जब यह युक्तियुक्त आश्वासन हो कि कंपनी उनसे संलग्न शर्तों का अनुपालन करेगी तथा अनुदान/सहायिकियां प्राप्त होंगी। मूल्यहास-योग्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित एवं तर्कसंगत आधार पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, अर्थात् ऐसे अनुदानों से संप्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास भार को आस्थगित अनुदान में से विनियोजित किया जाता है तथा घटे हुए मूल्यहास भार के रूप में लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व सरकारी अनुदानों एवं सहायिकियों को उन अवधियों में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जो उन लागतों से उनका मिलान करने हेतु आवश्यक हों जिनकी क्षतिपूर्ति उनसे अभिप्रेत है, तथा इन्हें संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में घटाया जाता है।

(ठ) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, उपदान (ग्रेच्युटी) एवं क्षतिपूरित अनुपस्थिति सम्मिलित हैं।

i. परिभाषित अंशदान योजनाएं

भविष्य निधि में कंपनी के अंशदानों को परिभाषित अंशदान योजना माना जाता है तथा कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने पर देय अंशदान की राशि के आधार पर इन्हें लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान (ग्रेच्युटी) को परिभाषित लाभ योजना माना जाता है। उपदान का प्रावधान तुलन-पत्र की तिथि को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को "प्रक्षेपित इकाई जमा" (प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट) पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित वर्धमान देयता को लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ एवं हानियों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

iii. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले संदेय प्रत्याशित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अनपवर्तित (अनडिस्काउंटेड) राशि को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन लाभों में निष्पादन प्रोत्साहन एवं क्षतिपूरित अनुपस्थिति सम्मिलित हैं, जिनके उस अवधि की समाप्ति के बारह मास के भीतर घटित होने की प्रत्याशा है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

iv. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ऐसी क्षतिपूरित अनुपस्थिति, जिसके उस अवधि की समाप्ति के बारह मास के भीतर घटित होने की प्रत्याशा नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, को तुलन-पत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ड) प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रति शेयर अर्जन की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। तनुकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जिसे समस्त तनुकारी संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया गया हो, से भाग देकर की जाती है, सिवाय उन मामलों के जहां परिणाम प्रति-तनुकारी हों।

(ढ) आय पर कर

आयकर में चालू कर एवं आस्थगित कर सम्मिलित हैं। चालू कर वह कर राशि है जो लागू कर दरों तथा आयकर अधिनियम, 1961 एवं अन्य लागू कर विधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष की कर-योग्य आय पर संदेय है।

आस्थगित कर को कालिक अंतरों पर मान्यता दी जाती है; अर्थात् कर-योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच का वह अंतर जो एक अवधि में उत्पन्न होता है तथा एक या अधिक अनुवर्ती अवधियों में प्रतिवर्तित होने में सक्षम है। आस्थगित कर का मापन रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित अथवा सारतः अधिनियमित कर दरों एवं कर विधियों का उपयोग करते हुए किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को समस्त कालिक अंतरों हेतु मान्यता दी जाती है। अनवशेषित मूल्यहास एवं अग्रेनीत हानियों से इतर मदों के कालिक अंतरों हेतु आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक यह व्यक्तिगत निश्चितता विद्यमान हो कि पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके सापेक्ष इन्हें वसूला जा सके। तथापि, यदि अनवशेषित मूल्यहास एवं अग्रेनीत हानियां हों, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित यथार्थ (वर्चुअल) निश्चितता हो कि ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली हेतु पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिपूर्ति (ऑफसेट) तब की जाती है जब ऐसी मदें एक ही शासी कर विधि द्वारा आय पर लगाए गए करों से संबंधित हों तथा कंपनी को ऐसे समायोजन का विधितः प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो।

(ण) उधार लागत

उधार लागत में उपगत ब्याज एवं आनुषंगिक लागतें सम्मिलित हैं। ऐसी उधार लागतें जो किसी अर्हक परिसंपत्ति के अर्जन अथवा निर्माण से प्रत्यक्षतः आरोप्य हैं, तथा अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तिथि तक की अवधि से संबंधित हैं, उन्हें उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य समस्त उधार लागतों को उस अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उपगत होती हैं।

(त) परिसंपत्तियों का हानि-क्षय (इंपेयरमेंट)

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वहन मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारित करने हेतु करती है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को हानि-क्षय हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो, तो हानि-क्षय हानि की सीमा निर्धारित करने हेतु परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का आकलन किया जाता है। वसूलीयोग्य राशि, परिसंपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य एवं उपयोग-मूल्य में से जो अधिक हो, वह है। उपयोग-मूल्य के निर्धारण में परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग एवं उसके व्ययन से प्रत्याशित आकलित भावी नकदी प्रवाहों को ऐसी पूर्व-बट्टा दर से उनके वर्तमान मूल्य पर अपवर्तित किया जाता है जो धन के समय-मूल्य एवं परिसंपत्ति-विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलनों को प्रतिबिंबित करती हो।

हानि-क्षय हानि के प्रतिवर्तन को लाभ-हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(थ) खंड सूचना

व्यावसायिक खंड (प्राथमिक): कंपनी प्राथमिक खंडों की पहचान प्रमुख स्रोत, जोखिमों एवं प्रतिफलों की प्रकृति तथा आंतरिक संगठन एवं प्रबंधन संरचना के आधार पर करती है। कंपनी मुख्यतः दूध एवं दुग्ध उत्पादों की संप्राप्ति एवं विक्रय में संलग्न है। इसे एकल व्यावसायिक खंड माना गया है।

(द) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो तथा यह संभाव्य हो कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में विश्वसनीय आकलन किया जा सके। प्रावधानों (कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर अपवर्तित नहीं किया जाता तथा इनका निर्धारण तुलन-पत्र की तिथि को दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित सर्वोत्तम आकलन के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम आकलनों को प्रतिबिंबित करने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती। आकस्मिक देयताओं को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

(ध) पट्टे

ऐसी पट्टा व्यवस्थाएं जहां किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबद्ध जोखिम एवं प्रतिफल सारतः पट्टादाता के पास निहित रहते हैं, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा किराए को पट्टा अवधि पर सरल रेखा आधार पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(न) परिचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति तथा परिसंपत्तियों के अर्जन एवं रोकड़ या रोकड़ समतुल्य में उनकी वसूली के बीच के सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू एवं गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन हेतु अपना परिचालन चक्र 12 मास निर्धारित किया है।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

3. शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 को	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (रुपये लाख में)	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (रुपये लाख में)
(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 100 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	20.00	2,000.00	20.00	2,000.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 100 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	14.72	1,471.66	11.78	1,178.24

नीचे दी गई टिप्पणियां (i) से (v) देखें।

टिप्पणियां:

(i) शेयरों से संलग्न अधिकार, अधिमान एवं निर्बंधन

कंपनी ने ₹ 100 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी निर्गत की है। प्रत्येक सदस्य एक मत का हकदार है। सदस्य कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार सीमित प्रतिफल एवं बोनस के हकदार हैं।

(ii) वर्ष के प्रारंभ एवं अंत में बकाया शेयरों की संख्या एवं राशि का समाधान (रिकंसिलिएशन):

विवरण	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 को	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (रुपये लाख में)	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (रुपये लाख में)
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	11.78	1,178.24	9.36	935.99
जोड़ें: वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	3.82	381.42	4.06	406.04
घटाएं: वर्ष के दौरान रद्द/अभ्यर्पित शेयर	(0.88)	(88.00)	(1.64)	(163.79)
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	14.72	1,471.66	11.78	1,178.24

(iii) कंपनी की शेयर पूंजी का 5% अथवा उससे अधिक किसी भी सदस्य के पास नहीं है।

(iv) विगत पांच वर्षों के दौरान रोकड़ से इतर प्रतिफल के बदले अथवा बोनस शेयरों के रूप में कोई शेयर निर्गत नहीं किया गया है।

(v) प्रवर्तकों की शेयरधारिता का विवरण:

क्र.सं.	प्रवर्तक का नाम	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 को		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
1	अंकुर कुमार	63	0.00004	63	0.00005	(0.00001)
2	संजीव	17	0.00428%	13	0.00535%	0.00107%
3	जितेन्द्र कुमार	145	0.00116%	87	0.00110%	0.00006%
4	शैलेन्द्र	57	0.00985%	50	0.00738%	0.00247%
5	प्रदीप कुमार	55	0.00387%	45	0.00424%	0.00037%
6	अनिल कुमार	146	0.00374%	116	0.00382%	0.00008%
7	अंजू देवी	42	0.00992%	41	0.00985%	0.00007%
8	वीरेन्द्र	37	0.00285%	37	0.00348%	0.00063%
9	कपिल भारद्वाज	45	0.00251%	45	0.00314%	0.00063%
	कुल योग	607		497		

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

4. आरक्षित निधियां एवं अधिशेष

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) लाभ-हानि विवरण में अधिशेष		
प्रारंभिक शेष	1,939.79	1,291.79
जोड़ें: वर्ष का शुद्ध लाभ	715.24	722.88
घटाएं:		
(i) वर्ष हेतु सदस्यों को अंतिम सीमित प्रतिफल (लाभांश)	94.26	74.88
(ii) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	—	—
अंतिम शेष	2,560.77	1,939.79
कुल योग	2,560.77	1,939.79

5. आस्थगित अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) प्रारंभिक शेष	825.16	43.56
(ख) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (टिप्पणी 33 देखें)		
(i) स्थायी परिसंपत्तियों हेतु	300.99	816.73
(i) माल-सूची हेतु	(25.32)	25.32
(घ) घटाएं: पूंजीगत अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास (टिप्पणी 14.4 देखें)	(132.17)	(60.44)
कुल योग	968.66	825.16

6. दीर्घकालिक उधार

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
प्रतिभूत		
(क) सावधि ऋण		
(i) मदर डेयरी से (टिप्पणी 6.1 देखें)	–	1,001.80
(ii) एनडीडीबी से (टिप्पणी 6.2 देखें)	991.87	709.50
घटाएं: दीर्घकालिक उधार की चालू परिपक्वता (टिप्पणी 10 देखें)	(127.97)	(608.77)
	863.90	100.73
कुल योग	863.90	1,102.54

6.1

- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ("एमडीएफवीपीएल") से ₹ 1,502.71 लाख का ऋण प्राप्त हुआ था।
- (ख) यह ऋण वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारंभ होकर 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकौतीयोग्य था।
- (ग) ऋण पर अस्थिर दर से ब्याज देय है, जो पांच वर्षीय सरकारी प्रतिभूति के प्रचलित प्रतिफल से कम नहीं होगा।
- (घ) एमडीएफवीपीएल का कंपनी की समस्त वर्तमान एवं भावी स्थायी चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप (पारी-पासु) भार होगा।
- (ङ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने बकाया कॉर्पोरेट ऋण का भुगतान कर दिया है तथा प्रतिभूति भार भी मुक्त करा लिया है।

6.2

- (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा जाइका परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 1,023.86 लाख का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसमें से ₹ 314.35 लाख वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान ₹ 216.87 लाख परिसंपत्तियों के क्रय हेतु उपयोग किए गए, जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2026 को ₹ 222.26 लाख का अनुपयोजित शेष रहा।
- (ख) ऋण पर 1.50% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है तथा यह निधि के प्रथम विमोचन की तिथि से मूलधन चुकौती पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि सहित 10 वर्ष की अवधि के भीतर 96 समान मासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है। मूलधन एवं ब्याज की चुकौती मासिक आधार पर की जानी है।
- (ग) इसके अतिरिक्त, कंपनी ने ऋण के स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए ₹ 127.97 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 107.87 लाख) को अल्पकालिक उधार के रूप में वर्गीकृत किया है।
- (घ) एनडीडीबी का कंपनी की समस्त वर्तमान एवं भावी स्थायी चल परिसंपत्तियों पर समरूप (पारी-पासु) प्रथम भार होगा।

7. आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं) (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां बनाने वाली मदों का कर प्रभाव:		
i. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के बही शेष एवं कर शेष के बीच अंतर पर	57.36	42.20
ii. क्षतिपूरित अनुपस्थिति एवं उपदान हेतु प्रावधान	26.04	16.07
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	83.40	58.27

टिप्पणी: पूर्व वर्ष में कंपनी ने अपने व्यावसायिक परिचालन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भावी लाभों संबंधी प्रबंधन के आकलनों के आधार पर अनवशोषित मूल्यहास पर आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी है।

8. अन्य दीर्घकालिक देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) प्रतिभूति जमाएं	739.02	640.28
कुल योग	739.02	640.28

9. दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान:		
(i) क्षतिपूरित अनुपस्थिति हेतु	60.64	33.99
(ii) उपदान (ग्रेच्युटी) हेतु (टिप्पणी 30 देखें)	31.08	19.25
कुल योग	91.72	53.24

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

10. अल्पकालिक उधार

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
दीर्घकालिक उधार की चालू परिपक्वता (टिप्पणी 6 देखें)		
(i) मदर डेयरी से	–	500.90
(ii) एनडीडीबी से	127.97	107.87
कुल योग	127.97	608.77

11. व्यापारिक देय

(स्वीकृतियों से इतर)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय (टिप्पणी 37 देखें)	43.69	15.07
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से इतर लेनदारों के कुल बकाया देय	3,383.73	2,423.57
कुल योग	3,427.42	2,438.64

11.1 व्यापारिक देय की आयु-निर्धारण अनुसूची

31 मार्च, 2026 को लेनदेन की तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया (रुपये लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	43.69	–	–	–	43.69
(ii) अन्य व्यापारिक देय	3,383.73	–	–	–	3,383.73
(iii) विवादित देय – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित देय – अन्य व्यापारिक देय	–	–	–	–	–
कुल योग	3,427.42	–	–	–	3,427.42

31 मार्च, 2025 को लेनदेन की तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया (रुपये लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	15.07	–	–	–	15.07
(ii) अन्य	2,423.57	–	–	–	2,423.57
(iii) विवादित देय – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित देय – अन्य	–	–	–	–	–
कुल योग	2,438.64	–	–	–	2,438.64

12. अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के क्रय हेतु देय	–	–
(ख) शेयर आवंटन हेतु प्राप्त एवं प्रतिदाय हेतु देय आवेदन राशि	1.57	–
(ग) प्राप्त अनुदान (उपयोग का निवल) (टिप्पणी 33 देखें)	142.56	570.34
(घ) सांविधिक देयताएं	31.55	26.68
(ङ) प्रतिभूति जमाएं	77.08	86.19
(च) देय कर्मचारी व्यय	2.34	12.73
(छ) अदत्त लाभांश*	1.15	0.79
(ज) देय ब्याज	0.29	16.83
(झ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के क्रय हेतु देय	25.46	–
कुल योग	282.00	713.56

*टिप्पणी: चालू एवं पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि अंतरित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

13. अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
(i) क्षतिपूरित अनुपस्थिति हेतु	7.69	8.03
(ii) उपदान (ग्रेच्युटी) हेतु (टिप्पणी 30 देखें)	4.05	2.57
कुल योग	11.74	10.60

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607
वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

14.1 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (रुपये लाख में)

विवरण	पट्टाधृत सुधार	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	सॉफ्टवेयर	कुल
क. सकल ब्लॉक							
01 अप्रैल, 2024 को शेष	76.18	1,489.29	5.95	79.04	8.51	–	1,658.97
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	1,450.95	10.94	1.87	9.11	–	1,472.87
वर्ष के दौरान व्ययन	–	(2.13)	–	–	–	–	(2.13)
31 मार्च, 2025 को शेष	76.18	2,938.11	16.89	80.91	17.62	–	3,129.71
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	502.13	0.40	9.66	4.83	–	517.02
वर्ष के दौरान व्ययन	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2026 को शेष	76.18	3,440.24	17.29	90.57	22.45	–	3,646.73
ख. संचित मूल्यहास							
01 अप्रैल, 2024 को शेष	12.63	598.65	0.73	47.20	2.78	–	661.99
वर्ष हेतु मूल्यहास व्यय	14.44	310.41	1.16	24.30	2.50	–	352.81
व्ययन पर समाप्ति	–	(1.85)	–	–	–	–	(1.85)
31 मार्च, 2025 को शेष	27.07	907.21	1.89	71.50	5.28	–	1,012.95
वर्ष हेतु मूल्यहास व्यय	14.51	409.56	1.73	8.34	3.22	–	437.36
31 मार्च, 2026 को शेष	41.58	1,316.77	3.62	79.84	8.50	–	1,450.31
ग. वहन राशि							
31 मार्च, 2025 को शेष	49.11	2,030.90	15.00	9.41	12.34	–	2,116.76
31 मार्च, 2026 को शेष	34.60	2,123.47	13.67	10.73	13.95	–	2,196.42

टिप्पणी:

- (i) उधार हेतु प्रतिभूति के रूप में बंधक रखी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के विवरण हेतु टिप्पणी 6 देखें।
- (ii) पूंजीगत अनुदान से क्रय की गई तथा उपर्युक्त अनुसूची में सम्मिलित परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है (टिप्पणी 33 एवं टिप्पणी 5 देखें): (रुपये लाख में)

विवरण	पट्टाधृत सुधार	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	सॉफ्टवेयर	कुल
क. सकल ब्लॉक							
01 अप्रैल, 2024 को शेष	–	44.57	0.06	–	2.25	–	46.88
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	815.05	–	1.68	–	–	816.73
वर्ष के दौरान व्ययन	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2025 को शेष	–	859.62	0.06	1.68	2.25	–	863.61
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	300.99	–	–	–	–	300.99
वर्ष के दौरान व्ययन	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2026 को शेष	–	1,160.61	0.06	1.68	2.25	–	1,164.60
ख. संचित मूल्यहास							
01 अप्रैल, 2024 को शेष	–	2.91	0.01	–	0.40	–	3.32
वर्ष हेतु मूल्यहास व्यय	–	59.67	0.01	0.41	0.36	–	60.45
31 मार्च, 2025 को शेष	–	62.58	0.02	0.41	0.76	–	63.77
वर्ष हेतु मूल्यहास व्यय	–	131.27	0.01	0.53	0.36	–	132.17
31 मार्च, 2026 को शेष	–	193.85	0.03	0.94	1.12	–	195.94
ग. वहन राशि							
31 मार्च, 2025 को शेष	–	797.04	0.04	1.27	1.49	–	799.84

विवरण	पट्टाधृत सुधार	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	सॉफ्टवेयर	कुल
31 मार्च, 2026 को शेष	-	966.76	0.03	0.74	1.13	-	968.66

14.2 पूंजीगत कार्य-प्रगति

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
पूंजीगत कार्य-प्रगति	144.64	-
कुल योग	144.64	-

पूंजीगत कार्य-प्रगति की आयु-निर्धारण अनुसूची: (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को सीडब्ल्यूआईपी में राशि की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं					
संस्थापन हेतु लंबित संयंत्र एवं उपकरण	144.64	-	-	-	144.64
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजना	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2025 को सीडब्ल्यूआईपी में राशि की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं					
संयंत्र एवं उपकरण	—	—	—	—	—
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजना	—	—	—	—	—

टिप्पणी: ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसका पूर्ण होना विलंबित हो अथवा जिसकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई हो।

14.3 अमूर्त परिसंपत्तियां (रुपये लाख में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
क. सकल ब्लॉक		
01 अप्रैल, 2024 को शेष	16.29	16.29
वर्ष के दौरान संवर्धन	2.13	2.13
वर्ष के दौरान व्ययन	—	—
31 मार्च, 2025 को शेष	18.42	18.42
वर्ष के दौरान संवर्धन	115.64	115.64
वर्ष के दौरान व्ययन	—	—
31 मार्च, 2026 को शेष	134.06	134.06

विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
ख. संचित परिशोधन		
01 अप्रैल, 2024 को शेष	0.53	0.53
वर्ष हेतु परिशोधन व्यय	4.62	4.62
31 मार्च, 2025 को शेष	5.15	5.15
वर्ष हेतु परिशोधन व्यय	15.98	15.98
31 मार्च, 2026 को शेष	21.13	21.13
ग. वहन राशि		
31 मार्च, 2025 को शेष	13.27	13.27
31 मार्च, 2026 को शेष	112.93	112.93

14.4 मूल्यहास एवं परिशोधन

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास (टिप्पणी 14.1 देखें)	437.36	352.81
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 14.3 देखें)	15.98	4.62
घटाएं: अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास (टिप्पणी 14.1(ii) देखें)	(132.17)	(60.45)
कुल योग	321.17	296.98

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

15. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(अप्रतिभूत, उत्तम माने गए)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) विक्रेताओं के पास प्रतिभूति जमाएं	3.93	3.93
(ख) अग्रिम आयकर (कर हेतु प्रावधान का निवल)	114.97	117.76
(ग) पूंजीगत अग्रिम या पूंजी अग्रिम	57.03	
कुल योग	175.93	121.69

16. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत, उत्तम मानी गईं)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) बैंकों के पास जमा खातों में (12 मास से अधिक की मूल परिपक्वता)	1,200.00	—
कुल योग	1,200.00	—

17. माल-सूची

(लागत एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य में से जो कम हो, उस पर)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) व्यापारिक स्टॉक (पारगमन में माल)	286.83	164.57
(ख) व्यापारिक स्टॉक	16.31	13.31
(ग) भंडार एवं पुर्जे	84.13	51.44
कुल योग	387.27	229.32

18. व्यापारिक प्राप्य

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(ख) अन्य व्यापारिक प्राप्य		
(i) अप्रतिभूत, उत्तम माने गए	2,704.45	1,914.74
कुल योग	2,704.45	1,914.74

18.1 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु व्यापारिक प्राप्य आयु-निर्धारण अनुसूची: (रुपये लाख में)

विवरण	लेनदेन की तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					कुल
	6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य						
(क) उत्तम माने गए	2,704.45	–	–	–	–	2,704.45
(ख) संदिग्ध माने गए	–	–	–	–	–	–
(ii) विवादित व्यापारिक प्राप्य						
(क) उत्तम माने गए	–	–	–	–	–	–
(ख) संदिग्ध माने गए	–	–	–	–	–	–
कुल योग	2,704.45	–	–	–	–	2,704.45

18.2 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु व्यापारिक प्राप्य आयु-निर्धारण अनुसूची: (रुपये लाख में)

विवरण	लेनदेन की तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					कुल
	6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य						
(क) उत्तम माने गए	1,914.74	–	–	–	–	1,914.74
(ख) संदिग्ध माने गए	–	–	–	–	–	–
(ii) विवादित व्यापारिक प्राप्य						
(क) उत्तम माने गए	–	–	–	–	–	–
(ख) संदिग्ध माने गए	–	–	–	–	–	–
कुल योग	1,914.74	–	–	–	–	1,914.74

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

19. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) बैंक के पास शेष		
(i) चालू खातों में	166.37	131.18
(ii) बचत खातों में	222.27	705.59
एएस-3 (नकदी प्रवाह विवरण) के अनुसार रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	388.64	836.77
(ख) अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खातों में		
– 3 मास से अधिक तथा 12 मास तक की मूल परिपक्वता	2,953.33	4,102.04
(ii) नामित (अर्मावर्ड) खातों में		
– अदत्त लाभांश खाते	1.15	0.79
कुल योग	3,343.12	4,939.60

20. अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

(अप्रतिभूत, उत्तम माने गए)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) विक्रेताओं को अग्रिम	14.22	1.91
(ख) पूर्वदत्त व्यय	31.70	11.07
कुल योग	45.92	12.98

21. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत, उत्तम मानी गईं)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) बैंक जमाओं पर उपचित ब्याज	150.77	126.80
कुल योग	150.77	126.80

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

22. परिचालन से राजस्व

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
उत्पादों का विक्रय		
i. कच्चे दूध का विक्रय	56,004.35	42,941.57
ii. पशु आहार का विक्रय	4,015.20	2,317.40
iii. घी का विक्रय	222.33	123.78
iv. गोबर प्रबंधन कार्यक्रम (एमएमपी) के अंतर्गत वस्तुओं का विक्रय	12.88	10.70
कुल योग	60,254.76	45,393.45

23. अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) ब्याज आय		
(i) बैंकों के पास जमाओं पर	320.07	284.93
(ख) अन्य गैर-परिचालनगत आय		
(i) सदस्यता शुल्क	14.43	16.08
(ii) बायो गैस संयंत्र के विक्रय पर प्रोत्साहन	—	0.24
(iii) वापस लिखी गई देयताएं	—	88.58
(iv) आयकर प्रतिदाय पर प्राप्त ब्याज	6.68	—
(v) विविध आय	48.74	32.70
कुल योग	389.92	422.53

24. व्यापारिक स्टॉक का क्रय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) कच्चे दूध का क्रय	53,479.15	40,446.06

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(ख) पशु आहार का क्रय	3,594.11	2,102.77
(ग) घी का क्रय	203.17	114.53
(घ) गोबर प्रबंधन कार्यक्रम (एमएमपी) के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय	11.41	2.07
कुल योग	57,287.85	42,665.43

25. व्यापारिक स्टॉक की माल-सूची में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) वर्ष के प्रारंभ में माल-सूची		
(i) व्यापारिक स्टॉक	177.89	207.12
	177.89	207.12
(ख) वर्ष के अंत में माल-सूची		
(i) व्यापारिक स्टॉक	303.13	177.89
	303.13	177.89
माल-सूची में शुद्ध (वृद्धि)/कमी	(125.24)	29.23

26. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) वेतन एवं मजदूरी	393.32	362.12
(ख) भविष्य निधि (टिप्पणी 30 देखें) एवं अन्य निधि में अंशदान	24.89	22.55
(ग) उपदान (ग्रेच्युटी) व्यय (टिप्पणी 30 देखें)	15.44	11.07
(घ) स्टाफ कल्याण व्यय	15.13	17.22
कुल योग	448.78	412.96

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

27. वित्त लागत

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
(क) उधार पर ब्याज	77.37	111.00
(ख) करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज	–	5.99
कुल योग	77.37	116.99

28. अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
i. भंडार एवं पुर्जों की खपत	25.02	47.35
ii. किराया	44.47	40.70
iii. संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य की मरम्मत एवं अनुरक्षण	48.12	26.18
iv. बीमा प्रभार	29.35	29.84
v. दर एवं कर	9.85	17.39
vi. वितरण, भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	705.34	479.13
vii. बाह्यस्रोत (आउटसोर्स) जनशक्ति व्यय	441.71	399.94
viii. विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	105.25	79.58
ix. लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	23.41	21.48
x. वाहन परिचालन व्यय	72.04	61.72
xi. संचार व्यय	18.10	15.33
xii. अपलिखित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	–	0.28
xiii. मुद्रण एवं लेखन-सामग्री व्यय	4.84	17.21
xiv. यात्रा एवं वाहन-भत्ता	37.82	15.07
xv. शक्ति एवं ईंधन	5.09	4.68
xvi. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व – सीएसआर (नीचे टिप्पणी (ii) देखें)	18.06	11.85
xvii. सूचना प्रौद्योगिकी लागत	17.64	–

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
xix. विविध व्यय	65.54	52.86
कुल योग	1,671.65	1,320.59

टिप्पणी:

(i) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में सम्मिलित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
क. सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	16.50	15.25
ख. कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.90	1.75
ग. आनुषंगिक (आउट ऑफ पॉकेट) व्यय	1.70	1.42
घ. उपर्युक्त पर वस्तु एवं सेवा कर	3.31	3.06
कुल योग	23.41	21.48

(ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	18.06	11.85
ख. वर्ष के दौरान वास्तविक व्ययित राशि:		
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	—	—
(ii) उपर्युक्त (i) से इतर प्रयोजनों पर	18.06	11.85
	18.06	11.85
ग. अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	—	—
घ. वित्तीय वर्ष के दौरान अधिक व्ययित राशि	—	—
ड. आगामी वित्तीय वर्षों हेतु उपलब्ध समायोजन (सेट ऑफ)	—	—
च. सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति*		

* कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में परिकल्पित भूख, गरीबी एवं कुपोषण के उन्मूलन हेतु कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सीएसआर व्यय किया है।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

29. शेयर आवेदन राशि

कंपनी को इस वर्ष आवंटन हेतु लंबित कोई शेयर आवेदन राशि प्राप्त नहीं हुई है। पूर्व वर्ष में ₹ 22.61 लाख प्राप्त हुए थे, जिनके सापेक्ष शेयर आवेदन प्ररूप में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शेयर आवंटित कर दिए गए थे तथा 31 मार्च, 2026 को ₹ 1.57 लाख प्रतिदाय हेतु देय हैं।

30. कर्मचारी लाभ योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में अंशदान करती है, जो परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं। इस योजना के अंतर्गत कंपनी को लाभों के वित्तपोषण हेतु वेतन लागत का एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत अंशदान करना अपेक्षित है। कंपनी द्वारा इन योजनाओं में संदेय अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर हैं।

कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में भविष्य निधि अंशदान हेतु ₹ 24.89 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 22.55 लाख) को मान्यता दी है।

परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) योजना के रूप में परिभाषित लाभ योजना (एकमुश्त राशि) प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत लाभ सेवा के वर्षों तथा पृथक्करण से ठीक पूर्व कर्मचारी के पारिश्रमिक पर आधारित हैं। उपदान योजना सभी कर्मचारियों को आच्छादित करती है। बीमांकिक मूल्यांकन "प्रक्षेपित इकाई जमा" पद्धति के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमांकिक अभ्युपगमों के लाभ एवं हानियां लाभ-हानि विवरण में प्रभारित की जाती हैं।

निम्नलिखित तालिकाएं उपदान के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की स्थिति दर्शाती हैं:

(क) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21.82	14.75
ब्याज व्यय	1.45	0.92
विगत सेवा लागत	—	—
चालू सेवा लागत	11.64	9.38
भुगतान किए गए लाभ	(2.13)	(4.00)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.35	0.77

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	35.13	21.82

योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से किया जाता है। योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य वर्ष के अंत में शून्य है।

(ख) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	35.13	21.82
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति) (टिप्पणी 9 एवं टिप्पणी 13 देखें)	35.13	21.82

(ग) लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
चालू सेवा लागत	11.64	9.38
ब्याज लागत	1.45	0.92
विगत सेवा लागत	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	—	—
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.35	0.77
लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय (टिप्पणी 26 देखें)	15.44	11.07

(घ) तुलन-पत्र समाधान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21.82	14.75
उपर्युक्तानुसार व्यय	15.44	11.07
अंशदान	—	—
कंपनी द्वारा प्रत्यक्षतः भुगतान किए गए लाभ	(2.13)	(4.00)
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	35.13	21.82

कंपनी की योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा उस बीमा पॉलिसी के अनुसार किया जाता है जो कंपनी की उपदान योजना संबंधी दायित्वों के वित्तपोषण हेतु ली गई है।

परिभाषित लाभ दायित्वों एवं व्ययों के आकलन हेतु प्रयुक्त बीमांकिक गणनाएं निम्नलिखित अभ्युपगमों पर आधारित हैं, जिनमें परिवर्तन होने पर परिभाषित लाभ दायित्व एवं व्यय प्रभावित होंगे।

(ड) बीमांकिक अभ्युपगम

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
बढ़ा दर	7%	7%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि	11%	11%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	—	—
क्षय (एट्रिशन) दर	12%	12%
शेष कार्य-जीवन (वर्षों में)	19.78	19.69
प्रयुक्त मृत्यु-दर सारणी	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर का निर्धारण योजना परिसंपत्तियों की संरचना, निवेश रणनीति, बाजार परिदृश्य आदि जैसे कई लागू कारकों पर विचार करने के पश्चात किया जाता है।

भावी वेतन वृद्धि के आकलनों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन-वृद्धि एवं अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखा गया है।

(च) अनुभव समायोजन (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
दायित्व का वर्तमान मूल्य	35.13	21.82	14.75	6.24	1.70

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—	—	—	—
वित्तपोषित स्थिति	(35.13)	(21.82)	(14.75)	(6.24)	(1.70)
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	2.35	0.77	2.24	(0.99)	—
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/(हानि)	—	—	—	—	—

(छ) क्षतिपूरित अनुपस्थिति हेतु देयता के मूल्यांकन में प्रयुक्त बीमांकिक अभ्युपगम उपर्युक्त बिंदु (ड) में उल्लिखित अभ्युपगमों के समान ही हैं।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

31. श्रम संहिताएं

21 नवंबर, 2025 को भारत सरकार ने वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 (सामूहिक रूप से "श्रम संहिताएं") के प्रावधान अधिसूचित किए, जो अनेक विद्यमान श्रम विधियों को नियोजन एवं नियोजन-पश्चात लाभों को शासित करने वाले एकीकृत ढांचे में समेकित करती हैं। कंपनी ने आकलन किया है कि कर्मचारी लाभ व्यय में इन परिवर्तनों का कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। कंपनी श्रम संहिताओं से संबंधित घटनाक्रमों, जिनमें आगे के नियमों, स्पष्टीकरणों अथवा संशोधनों का जारी होना सम्मिलित है, पर निरंतर नजर रखे हुए है तथा यथालागू प्रभाव का मूल्यांकन एवं लेखांकन उन अवधियों में करेगी जिनमें ऐसे घटनाक्रम घटित होंगे।

32. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
कर पश्चात शुद्ध लाभ	रुपये लाख में	715.24	722.88
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	12,31,839	9,63,416
इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य	रुपये	100	100
मूल प्रति शेयर अर्जन	रुपये	58.06	75.03
शेयर आवेदन राशि के सापेक्ष आवंटन का प्रभाव	संख्या	—	—
तनुकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना हेतु प्रयुक्त इक्विटी शेयर	संख्या	12,32,576	9,63,416
तनुकृत प्रति शेयर अर्जन	रुपये	58.06	75.03

33. सरकारी अनुदानों का विवरण

कंपनी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एक करार किया है, तथा एनडीडीबी ने "सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी विकास (डीटीसी)" योजना के कार्यान्वयन हेतु जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जाइका) के अंतर्गत कंपनी को अनुदान प्रदान किया है, ताकि उक्त परियोजना में सम्मिलित गतिविधियों/घटकों — (क) दुग्ध संप्राप्ति अवसंरचना का सुदृढीकरण, (ख) उत्पादकता संवर्धन, तथा (ग) प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास — का निष्पादन किया जा सके।

जाइका परियोजना हेतु एनडीडीबी से प्राप्त अनुदानों एवं उनके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
एमएमपी एवं जाइका परियोजनाएं		
(i) प्रारंभिक शेष	570.34	1,301.69
क. पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु	393.91	1,210.63
ख. राजस्व व्ययों हेतु	176.43	91.06
(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त	162.00	254.85
क. पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु	49.35	—
ख. राजस्व व्ययों हेतु	112.65	254.85
(iii) निधि पर ब्याज	0.29	37.07
(क) कुल प्राप्त (i) + (ii) + (iii)	732.63	1,593.61
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/समायोजित		
क. पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु	300.99	816.73
ख. राजस्व व्ययों हेतु	289.08	206.54
(ख) कुल उपयोग	590.07	1,023.27
(v) अग्रेनीत/(प्राप्य) शेष (टिप्पणी 12 देखें) (क-ख)	142.56	570.34
क. पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु	142.27	393.91
ख. राजस्व व्ययों हेतु	0.29	176.43

* प्रारंभिक शेष गोबर प्रबंधन परियोजना से संबंधित है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण हो चुकी है।

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
i. पूंजीगत परिसंपत्तियों के क्रय हेतु अनुदान के उपयोग में सम्मिलित हैं:		
क. वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत परिसंपत्तियों में संवर्धन (टिप्पणी 14 देखें)	—	—
ख. वर्ष के दौरान पीपीई के अंतर्गत परिसंपत्तियों में संवर्धन (टिप्पणी 14 देखें)	300.99	816.73
ii. राजस्व व्ययों हेतु अनुदान के उपयोग में सम्मिलित हैं:		
क. एमपीपी सहायक उपकरण	—	33.53
ख. एमपीपी को सहायता	127.98	46.92
ग. आहार/बीजों पर सहायिकी	68.06	49.61

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
घ. प्रशिक्षण	69.07	25.68
ङ. प्रचार सामग्री	4.67	13.04
च. वेतन एवं मजदूरी	15.73	16.57
छ. वाहन परिचालन व्यय	3.57	3.27
ज. विविध व्यय	–	17.92
कुल योग	590.07	1,023.27

- (i) पूंजीगत परिसंपत्तियों के क्रय हेतु उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में अभिलिखित किया गया है तथा उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को संबंधित व्ययों में से घटाया गया है।
- (ii) उपरोक्त 31 मार्च 2026 तक के पूंजीगत अनुदान (Capital Grant) के शेष (Balance) में ₹51.18 लाख और ₹57.03 लाख शामिल हैं, जिनका उपयोग क्रमशः CWIP (चालू पूंजीगत कार्य) के भुगतान और पूंजीगत विक्रेता (Capital Vendor) को अग्रिम (Advance) देने के लिए किया गया है। इस अनुदान को आगामी वर्ष में पूंजीकरण (Capitalization) होने पर उपयोग (Utilization) के रूप में समायोजित (Adjust) किया जाएगा।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

34. अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	अंश/हर	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को	भिन्नता (%)
1	चालू अनुपात (गुना में)	चालू परिसंपत्तियां / चालू देयताएं	1.72	1.92	(9%)
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (गुना में) (टिप्पणी क देखें)	कुल ऋण(1) / शेयरधारकों की इक्विटी	0.25	0.55	(55%)
3	ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात (गुना में)	ऋण सेवा हेतु उपलब्ध अर्जन(2) / ऋण सेवा(3)	10.18	10.19	(0%)
4	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात (% में) (टिप्पणी ख देखें)	कर पश्चात लाभ / औसत शेयरधारक इक्विटी(4)	20%	27%	(26%)
5	माल-सूची आवर्त अनुपात (गुना में)	परिचालन से राजस्व / औसत माल-सूची(5)	195.45	189.24	3%
6	व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात (गुना में)	परिचालन से राजस्व / औसत व्यापारिक प्राप्य(6)	26.09	24.64	6%
7	व्यापारिक देय आवर्त अनुपात (गुना में)	व्यापारिक वस्तुओं का क्रय / औसत व्यापारिक देय(7)	19.53	17.52	11%
8	शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात (गुना में) (टिप्पणी ग देखें)	परिचालन से राजस्व / औसत कार्यशील पूंजी(9)	19.33	14.69	32%
9	शुद्ध लाभ अनुपात (% में) (टिप्पणी घ देखें)	कर पश्चात लाभ / परिचालन से राजस्व	1%	2%	(50%)
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ईबीआईटी(10) / नियोजित पूंजी(11)	21%	22%	(5%)
11	निवेश पर प्रतिफल(12)	लाभांश आय / औसत निवेश	—	—	—

स्पष्टीकरण:

- 1 कुल ऋण = अल्पकालिक उधार + दीर्घकालिक उधार
- 2 ऋण सेवा हेतु उपलब्ध अर्जन (ईबीआईटीडीए) = कर पूर्व लाभ + मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय + वित्त लागत
- 3 ऋण सेवा = वित्त लागत + मूलधन भुगतान

- 4 औसत शेयरधारक इक्विटी = (प्रारंभिक शेयरधारक निधियां + अंतिम शेयरधारक निधियां)/2
- 5 औसत माल-सूची = (प्रारंभिक माल-सूची + अंतिम माल-सूची)/2
- 6 औसत व्यापारिक प्राप्य = (प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य + अंतिम व्यापारिक प्राप्य)/2
- 7 औसत व्यापारिक देय = (प्रारंभिक व्यापारिक देय + अंतिम व्यापारिक देय)/2
- 8 कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियां – चालू देयताएं
- 9 औसत कार्यशील पूंजी = (प्रारंभिक कार्यशील पूंजी + अंतिम कार्यशील पूंजी)/2
- 10 ब्याज एवं कर पूर्व अर्जन (ईबीआईटी) = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत
- 11 नियोजित पूंजी = शेयरधारकों की इक्विटी + कुल ऋण ± आस्थगित कर देयता/परिसंपत्ति
- 12 कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है। अतः यह अनुपात लागू नहीं है।

टिप्पणियां:

चालू वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 427.62 लाख की कमी हुई है। इसके फलस्वरूप अनुपात में कमी आई है।

क चालू वर्ष के दौरान उधार में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹ 719.44 लाख की कमी हुई है। इसके फलस्वरूप अनुपात में कमी आई है।

ख चालू वर्ष के दौरान शेयरधारकों की इक्विटी में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹ 909.84 लाख की वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप अनुपात में कमी आई है।

ग चालू वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 14,861.31 लाख की वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप अनुपात में वृद्धि हुई है।

चालू वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व में ₹ 14,861.30 लाख की वृद्धि हुई, जबकि औसत माल-सूची में पूर्व वर्ष की तुलना में केवल ₹ 96.12 लाख की वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप अनुपात में वृद्धि हुई है।

चालू वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व में ₹ 14,861.30 लाख की वृद्धि हुई, जबकि औसत व्यापारिक प्राप्य में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 707.32 लाख की वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप अनुपात में वृद्धि हुई है।

चालू वर्ष के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के क्रय में ₹ 14,619.38 लाख की वृद्धि हुई, जबकि औसत व्यापारिक देय में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 996.76 लाख की वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप अनुपात में कमी आई है।

चालू वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व में ₹ 14,861.30 लाख की वृद्धि हुई, किंतु कार्यशील पूंजी में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹ 546.22 लाख की वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप अनुपात में वृद्धि हुई है।

घ चालू वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में ₹ 7.65 लाख की कमी हुई, किंतु परिचालन से राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹ 14,861.31 लाख की वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप अनुपात में कमी आई है।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरणों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

35. संबंधित पक्ष प्रकटन

(क) संबंधित पक्षों के नाम एवं संबंध की प्रकृति:

संबंध की प्रकृति	व्यक्ति का नाम
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	डॉ. हितेश पूनिया

(ख) उपर्युक्त संबंधित पक्षों के साथ अवधि के दौरान लेनदेन की प्रकृति एवं राशि निम्नानुसार है: (रुपये लाख में)

लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष केएमपी	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष केएमपी
प्रबंधकीय पारिश्रमिक: डॉ. हितेश पूनिया		
– अल्पकालिक	52.88	39.46
– दीर्घकालिक	–	6.13

पूर्व वर्ष के दौरान डॉ. हितेश पूनिया एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) के कर्मचारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर (5 जुलाई 2024 से प्रभावी) कंपनी के मुख्य कार्यपालक के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए। उपर्युक्त राशि में ₹ 52.88 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 27.68 लाख) सम्मिलित है, जो डॉ. हितेश पूनिया की प्रतिनियुक्ति हेतु एनडीएस को भुगतान किया गया है।

36. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी दूध, पशु आहार एवं दुग्ध उत्पादों के व्यापार में संलग्न है, जिसे एकल व्यावसायिक खंड माना जाता है। कंपनी एकल भौगोलिक खंड में परिचालन करती है। चूंकि कंपनी एक ही व्यावसायिक एवं भौगोलिक खंड में कार्य करती है, अतः लेखांकन मानक एस-17 "खंड रिपोर्टिंग" के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन आवश्यक नहीं हैं।

37. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन: (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
(क) लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त शेष मूलधन राशि	43.69	15.07

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
(ख) लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त शेष उस पर देय ब्याज	—	—
(ग) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशियों सहित भुगतान किए गए ब्याज की राशि	—	—
(घ) वर्ष हेतु देय एवं संदेय ब्याज की राशि	—	—
(ङ) लेखा वर्ष के अंत में उपचित एवं अदत्त शेष ब्याज की राशि	—	—
(च) अनुवर्ती वर्ष में भी देय एवं संदेय आगे के ब्याज की राशि, जब तक कि उपर्युक्त ब्याज देय वास्तव में भुगतान न कर दिए जाएं	—	—

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियों का निर्धारण उसी सीमा तक किया गया है जहां तक प्रबंधन द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की जा सकी है। लेखापरीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है।

38. मध्यवर्तियों एवं अंतिम लाभार्थियों संबंधी प्रकटन

कंपनी द्वारा विदेशी निकायों सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) अथवा निकाय(यों) ("मध्यवर्ती") को अथवा उनमें कोई निधि (चाहे उधार ली गई निधियों से अथवा शेयर प्रीमियम से अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा प्रकार की निधियों से) इस समझ के साथ अग्रिम, उधार अथवा निवेशित नहीं की गई है कि मध्यवर्ती कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा अथवा उसमें निवेश करेगा। कंपनी ने किसी पक्ष (वित्तपोषक पक्ष) से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी अथवा उनमें निवेश करेगी, अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा तत्सदृश प्रदान करेगी।

39. परिचालन पट्टे

कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर हेतु परिचालन पट्टा व्यवस्थाएं की हैं। पट्टे 5 वर्ष की अवधि हेतु हैं, जिनमें 3 वर्ष की अ-निरस्तनीय अवधि सम्मिलित है। पट्टा करार में परिसर के कब्जे की तिथि से 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक वर्ष के पश्चात 5% की वृद्धि का उपबंध है। परिचालन पट्टों के अंतर्गत दायित्व के संबंध में ₹ 26.10 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 22.19 लाख) का पट्टा किराया व्यय लाभ-हानि विवरण में मान्यता दिया गया है।

भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं: (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से अनधिक अवधि में संदेय	23.30	22.92

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष से अनधिक अवधि में संदेय	16.04	15.28
पांच वर्ष से अधिक अवधि में संदेय	—	—

40. प्रस्तावित लाभांश

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशकों ने 8 सितंबर, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर ₹ 117.73 लाख (₹ 8/- प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है तथा इसे वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के सभी धारकों को संदेय है।

41. पंजी-मुक्त (स्ट्रक ऑफ) कंपनियों के साथ लेनदेन

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत पंजी-मुक्त की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 एवं 31 मार्च, 2025 को ऐसी कंपनियों के साथ न तो कोई लेनदेन हुआ है और न ही कोई बकाया शेष है।

42. पुनर्समूहन

वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप, जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्गठित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

43. आकस्मिक देयताएं

कंपनी के विरुद्ध ऐसा कोई लंबित वाद नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे। अतः 31 मार्च, 2026 को (31 मार्च, 2025: शून्य) कोई आकस्मिक देयताएं नहीं हैं।

44. वचनबद्धताएं

31 मार्च, 2026 एवं 31 मार्च, 2025 को कोई पूंजीगत एवं अन्य वचनबद्धताएं नहीं हैं।

45. लेखा-बहियों का बैकअप

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 05 अगस्त, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी (लेखा) चतुर्थ संशोधन नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार, कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक रीति से लेखा-बहियों तथा अन्य सुसंगत बहियों एवं कागजातों का बैकअप इस प्रकार अनुरक्षित करना

अपेक्षित है कि वह भारत में सभी समय सुलभ हो। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों पर लेखों का बैकअप दैनिक आधार पर अनुरक्षित करना अपेक्षित है। कंपनी की लेखा-बहियां तथा अन्य सुसंगत अभिलेख एवं दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रीति से अनुरक्षित किए जाते हैं। तथापि, कंपनी ने दैनिक आधार पर बैकअप अनुरक्षित किया है, किंतु उसे विनिर्दिष्ट अवधि तक परिरक्षित रखने की समुचित प्रणाली नहीं है।

कृते एस. बी. लिमोरिया
एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

विनीत रुस्तगी
पार्टनर
स्थान: दिल्ली
दिनांक: 08/09/2026

वीरेन्द्र
निदेशक
डीआईएन: 09377062
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

अंजू देवी
निदेशक
डीआईएन: 09377125
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

डॉ. हितेश पूनिया
मुख्य कार्यपालक एवं
निदेशक
डीआईएन: 09443126
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

श्रीमान नारायण पांडेय
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F7763
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

सौरभ प्रकाश
प्रमुख – लेखा एवं वित्त
स्थान: मेरठ
दिनांक: 08/09/2026

छठी वार्षिक सामान्य सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की छठी वार्षिक सामान्य सभा (Annual General Meeting) बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2026 को 'संस्कृति रिज़ॉर्ट्स, रोहटा रोड फ्लाईओवर के निकट, एनएच-58, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250110' में दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाएंगे:

- 1. 31 मार्च, 2026 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2026 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।"

- 2. कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लाभ में से ₹. 100/- वाले 14,71,662 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर ₹.8/- प्रति समता अंश की दर से, कुल ₹. 1,17,73,296 वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

- 3. कंपनी के वैधानिक ऑडिटर (Statutory Auditors) की नियुक्ति पर विचार करना और उन्हें नियुक्त करना।**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 139, 142 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) और कंपनीज़ (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 (जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी कानूनी बदलाव या दोबारा लागू किए गए नियम शामिल हैं) के तहत, M/s. N. R. & Associates, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 312101E) को कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। वे इस इस वार्षिक आम सभा (AGM) के खत्म होने से लेकर कंपनी की ग्यारहवीं इस वार्षिक आम सभा के खत्म होने तक, लगातार पांच साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेंगे।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए वैधानिक ऑडिटर को शुरुआती ऑडिट फीस ₹3,90,000 (तीन लाख नब्बे हजार रुपये) दी जाएगी, साथ ही लागू टैक्स और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों की भरपाई भी की जाएगी।

आगे यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि बाद के फाइनेंशियल ईयर और M/s. N. R. & Associates के कार्यकाल के दौरान, ऑडिट फीस कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा वैधानिक ऑडिटर से सलाह-मशविरा करके समय-समय पर तय और मंजूर की जाएगी।

साथ ही यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास ज़रूरी फ़ॉर्म जमा करने और इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए ज़रूरी सभी काम और कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

4. श्री रविंदर कुमार (डीआईएन:10053514), जो "श्रेणी ए" के अंतर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों पुर्न-अध्यादेश) श्री रविंदर कुमार (डीआईएन:10053514), कंपनी की निदेशक, जो "श्रेणी ए " के अंतर्गत आते हैं, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य हैं, कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

5. श्री संजय कुमार (डीआईएन:10055051), जो "श्रेणी बी" के अंतर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों पुर्न-अध्यादेश) श्री संजय कुमार (डीआईएन:10055051), कंपनी की निदेशक, जो "श्रेणी बी " के अंतर्गत आते हैं, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती सविता (डी.आई.एन. आवेदित) को जो "श्रेणी-सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी।"

6. श्रीमती संगीता (डी.आई.एन. 10052965), जो "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आती हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश सहित) कंपनी की निदेशक श्रीमती संगीता जो "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आती हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती पूनम (डी.आई.एन. : आवेदित) को जो "श्रेणी-सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगी।"

7. श्रीमती मनीषा (डी.आई.एन- आवेदित) को "श्रेणी सी" के अंतर्गत आती हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक

संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश सहित) श्रीमती मनीषा (डी.आई.एन- आवेदित) कंपनी के निदेशक जो "श्रेणी- सी" के अन्तर्गत आती है को कंपनी ने निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगी।"

8. 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट वार्षिक आम सभा में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे अनुमोदित किया जाता है।"

9. कंपनी के अर्तनियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन एवं सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्य लागू धाराओं, यदि कोई हो, तथा कंपनी के ज्ञापन एवं उननियमों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के वर्तमान उपनियमों में निम्नलिखित प्रकार एवं सीमा तक संशोधन किया जाए:

(1) कंपनी के उपनियमों के वर्तमान अनुच्छेद 4.3 (iii) को संशोधित किया जाए और इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

4.3(iii) कोई भी सदस्य, जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे सदस्य के रूप में हटाए जाने के संबंध में कंपनी द्वारा लिखित नोटिस दिया जाएगा तथा उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर उक्त नोटिस का उत्तर देना होगा। इसके पश्चात् बोर्ड इस विषय पर निर्णय लेगा। तथापि, सदस्यों को नोटिस भेजने के प्रयोजन से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों में छूट प्रदान कर सकता है।

ऐसा नोटिस या दस्तावेज सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्रदान करके अथवा साधारण डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कूरियर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के पास पंजीकृत सदस्य के ई-मेल पते पर भेजा जा सकता है।

डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा भेजा गया नोटिस सामान्य प्रक्रिया में उसकी डिलीवरी के लिए आवश्यक सामान्य अवधि की समाप्ति पर सदस्य को विधिवत तामील किया हुआ माना जाएगा।

कंपनी के पास पंजीकृत सदस्य के ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया नोटिस, प्रेषण की तारीख को विधिवत तामील किया हुआ माना जाएगा, बशर्ते कि कंपनी को डिलीवरी विफल होने, डिलीवरी न होने अथवा ई-मेल के वापस आने (Bounce-Back) की कोई सूचना प्राप्त न हो।

(2) कंपनी के उपनियमों के अनुच्छेद 4.4(iv) के तुरंत बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद 4.4(iv) सम्मिलित किया जाए:

4.4(iv) कोई सदस्य, किसी विशेष वर्ग के सदस्यों का बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक/निदेशकों के निर्वाचन या नियुक्ति में मतदान करने के लिए तभी पात्र होगा, जब उसने निर्वाचन या नियुक्ति से ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उस सदस्यता वर्ग पर लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया हो।

(3) कंपनी के उपनियमों के वर्तमान अनुच्छेद 4.5 (ii) को संशोधित किया जाए और इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

4.5(ii) कंपनी अपने सदस्यों से दूध की खरीद के लिए संबंधित क्षेत्र में प्रचलित मूल्य तथा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर सदस्यों को अलग-अलग मूल्य का भुगतान कर सकती है।

(4) कंपनी के उपनियमों के वर्तमान अनुच्छेद 9.6(i) को संशोधित किया जाए और इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

9.6(i) कंपनी के प्रत्येक वार्षिक आम सभा में कुल निर्वाचित निदेशकों के एक-चौथाई निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे तथा रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पद को अनुच्छेद 9.5 के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए भरा जाएगा। प्रत्येक वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे, जिन्होंने अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य किया है। यदि किसी एक ही वार्षिक आम सभा में एक से अधिक निदेशकों की नियुक्ति हुई हो, तो सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक/निदेशकों का निर्धारण लॉटरी/पर्ची द्वारा किया जाएगा।

(5) कंपनी के उपनियमों अनुच्छेद 9.16 को संशोधित किया जाए और इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

9.16 कोई निर्वाचित निदेशक, कंपनी का सदस्य न रहने या कंपनी के उपनियमों 4.4(i) के अंतर्गत मतदान के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपात्र हो जाने पर अपने पद पर बने रहने का अधिकार खो देगा। इसके अतिरिक्त, कोई सदस्य बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा अथवा निम्नलिखित परिस्थितियों में निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा।

(6) वर्तमान अनुच्छेद 9.16(xiii) के तुरंत बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद 9.16(xiv), 9.16(xv) एवं 9.16(xvi) सम्मिलित किए जाएं:

9.16(xiv) वह अस्वस्थ मस्तिष्क (unsound mind) का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में घोषित किया गया है।

9.16(xv) वह एक अविमोचित दिवालिया (undischarged insolvent) है अथवा उसने स्वयं को दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया है और ऐसा आवेदन लंबित है।

9.16(xvi) उसे निदेशक पहचान संख्या (DIN) आवंटित नहीं की गई है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव का कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

दिनांक: 9 सितम्बर, 2026
प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
स्थान: मेरठ

बोर्ड के आदेशानुसार
हरित प्रदेश

ह./-
श्रीमन नारायण पाण्डेय
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7763

टिप्पणियाँ (NOTES)

1. वार्षिक सामान्य सभा में उपस्थित होने एवं मत देने के अधिकारी सदस्य को अपने स्थान पर, हाथ उठाकर मत देने (show of hands) के साथ-साथ मत विभाजन (poll) में भी मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है, और प्रॉक्सी अवश्य ही कंपनी का सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला दस्तावेज़ प्रभावी होने हेतु विधिवत रूप से पूर्ण, स्टाम्प युक्त एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा सभा के नियत समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि सभा में उपस्थित होने हेतु इसके साथ भेजी गई उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) को विधिवत भरकर लाएँ।
3. प्रत्येक सदस्य को अपनी धारित शेयर पूंजी एवं संरक्षण (patronage) के अनुपात में एक मत (हाथ उठाकर या मत विभाजन द्वारा) देने का अधिकार होगा, बशर्ते उसने अपनी सदस्यता की मूल शर्तों को पूरा किया हो, अर्थात् उसने पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 दिन कंपनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
4. कोई सदस्य अधिकतम तीन सौ (300) सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, जो समग्र रूप से कंपनी की शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं होंगे।
5. सूचना में उल्लिखित संबंधित दस्तावेज़ सामान्य कार्य दिवसों में, शनिवार को छोड़कर, सामान्य कार्य समय (11:00 बजे से 16:00 बजे तक) के दौरान कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।
6. सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं:
 - क. मद संख्या 4, 7, 8 एवं 9 में दिए गए नामों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण।
 - ख. 20.09.2025 को आयोजित पिछली वार्षिक सामान्य सभा की कार्यवाही (Minutes)।
 - ग. 31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि का तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ-हानि खाता, उससे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों तथा निदेशकों एवं लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदनों सहित।
 - घ. वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य सभा में छठी वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लाएँ, क्योंकि कंपनी सभा स्थल पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
8. कंपनी के खातों या परिचालन से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्य से अनुरोध है कि वह सभा की तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व अपनी जिज्ञासा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजे।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपना फोलियो नंबर एवं सदस्य कोड अवश्य उल्लेखित करें।
10. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (जिसमें समय-समय पर प्रवृत्त कोई सांविधिक संशोधन या पुनःअधिनियमन शामिल है) के उपबंधों के अनुसार, यदि सीमित प्रतिफल (लाभांश) घोषणा की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के भीतर दावा नहीं किया जाता है, तो अदावी राशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (Investor Education and Protection Fund) में अंतरित कर दी जाएगी। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में अंतरण हेतु अदत्त लाभांश निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	IEPF में अंतरण की संभावित तिथि
2023-24	28/09/2024	01/11/2031
2024-25	20/09/2025	27/10/3032

जिन सदस्यों को उपर्युक्त वर्ष का लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, वे उक्त कोष में अंतरण के देय होने से पूर्व भुगतान प्राप्त करने हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते एवं बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी को तुरंत दें।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने हेतु अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएँ।

13. नामांकन: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसरण में, अपना नामांकन दर्ज/अद्यतन कराने के इच्छुक सदस्यों को सुझाव दिया जाता है कि वे निर्धारित फॉर्म SH-13 में कंपनी के पास नामांकन दाखिल करें (फॉर्म की प्रति इसके साथ संलग्न है)।

14. वार्षिक सामान्य सभा स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू एवं ब्लेड, नुकीले उपकरण आदि लाना वर्जित है।

15. छठी वार्षिक सामान्य सभा की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.haritpmilk.com पर उपलब्ध है।

16. वार्षिक सामान्य सभा स्थल तक सुगमता से पहुँचने हेतु प्रमुख चिह्नों सहित मार्ग-नक्शा (Route Map) वार्षिक सामान्य सभा की सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण

मद संख्या 4, 7, 8 एवं 9

	रवीन्द्र कुमार	सविता	पूनम	मनीषा
आयु:	46	37	40	46
शैक्षणिक योग्यता:	स्नातकोत्तर	स्नातक	12वीं	10वीं
व्यवसाय:	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन
अनुभव:	26	15	20	26
नियुक्ति की शर्तें:	गैर-कार्यकारी निदेशक, पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्ति के अधीन	गैर-कार्यकारी निदेशक, पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्ति के अधीन	गैर-कार्यकारी निदेशक, पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्ति के अधीन	गैर-कार्यकारी निदेशक, पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्ति के अधीन
प्रस्तावित एवं अंतिम आहरित प्रतिफल:	0	0	0	0
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि:	छठी वार्षिक सामान्य सभा में नियुक्त करने हेतु प्रस्तावित	छठी वार्षिक सामान्य सभा में नियुक्त करने हेतु प्रस्तावित	छठी वार्षिक सामान्य सभा में नियुक्त करने हेतु प्रस्तावित	छठी वार्षिक सामान्य सभा में नियुक्त करने हेतु प्रस्तावित
उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या:	-	-	-	-
शेयरधारिता (शेयर):	92	16	16	16
अन्य निदेशकों एवं KMP से संबंध:	कोई संबंध नहीं	कोई संबंध नहीं	कोई संबंध नहीं	कोई संबंध नहीं
बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता:	0	0	0	0

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ताक्षरित/-

श्रीमन नारायण पाण्डेय

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. F7763

स्थान: मेरठ

दिनांक: 08.09.2026

स्पष्टीकरण विवरण (Explanatory Statement)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 सहपठित धारा 378-1 के अनुसरण में)

मद संख्या 10

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ("एओए") की समीक्षा कंपनी की परिचालन आवश्यकताओं, अभिशासन (governance) प्रथाओं तथा प्रोड्यूसर कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के आलोक में की गई है। समीक्षा के आधार पर, अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ करने तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 2.1 (viii), 4.3.(iii), 4.4, 4.5 (ii), 9.6 (i) एवं 9.16 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित संशोधन मुख्यतः सूचनाओं की सेवा से संबंधित उपबंधों को अद्यतन करने, अतिरिक्त (redundant) उपबंधों को हटाने तथा अतिरिक्त अभिशासन आवश्यकताओं को समाविष्ट करके निदेशकों हेतु पात्रता एवं अपात्रता मानदंडों को सुदृढ़ करने का प्रावधान करते हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य बेहतर अभिशासन को प्रोत्साहित करना, आर्टिकल्स में स्पष्टता में सुधार करना, पुनरावृत्ति को दूर करना, सांविधिक उपबंधों के साथ सुसंगति सुनिश्चित करना तथा अपने उत्पादक सदस्यों के हितों की सुरक्षा करते हुए कंपनी के कुशल कार्य-संचालन में सुविधा प्रदान करना है।

मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति, प्रस्तावित परिवर्तनों सहित, इसकी तिथि से सभा की तिथि तक सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 11 बजे से अपराह्न 4 बजे के मध्य कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

निदेशक मंडल संलग्न सूचना के मद संख्या 10 में उल्लिखित विशेष संकल्प को सदस्यों के अनुमोदन हेतु संस्तुत (recommend) करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, कंपनी में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, को छोड़कर, इस संकल्प में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

मद संख्या 11

वित्तीय वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027) हेतु प्रस्तावित बजट का विवरण निम्नानुसार है:

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड			
आय बजट (Revenue Budget)			
क्र.सं.	विवरण	मापन इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 26-27
(I)	दूध खरीद मात्रा	(KGPD)	3,90,707
(II)	दूध परिचालन से आय	(₹ लाख में)	79,252.40
(III)	उत्पादक मूल्य	(₹ लाख में)	71,936.24
(IV)	सहायक मार्जिन	(₹ लाख में)	1,944.45
(V)	रसद लागत	(₹ लाख में)	2,291.14
(VI)	अन्य दूध खरीद लागत	(₹ लाख में)	735.25

(VII)	स्थिर लागत	(₹ लाख में)	2,045.82
(VIII)	अनुदान सहायता से पूर्व दूध परिचालन से लाभ/(हानि)	(₹ लाख में)	299.50
(IX)	CF एवं अन्य से आय	(₹ लाख में)	134.46
(X)	अन्य आय	(₹ लाख में)	233.32
(XI)	अनुदान सहायता से पूर्व दूध परिचालन से लाभ/(हानि)	(₹ लाख में)	667.28
(XII)	PES व्यय JICA	(₹ लाख में)	-
(XIII)	JICA वित्तपोषण एजेंसी से PES सहायता	(₹ लाख में)	-
(XIV)	दिशा प्रोजेक्ट के अंतर्गत व्यय	(₹ लाख में)	18.10
(XV)	दिशा - NDDDB हेतु सहायता	(₹ लाख में)	4.48
(XVI)	HRC प्रोजेक्ट के अंतर्गत व्यय	(₹ लाख में)	28.13
(XVII)	अनुदान सहायता के पश्चात कर-पूर्व लाभ/(हानि)	(₹ लाख में)	625.52
पूंजीगत व्यय बजट (Capex Budget)			
क्र.सं.	विवरण	मापन इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 26-27
A	दूध परिचालन (शीर्षक)		
(I)	MPP स्थापना लागत	(₹ लाख में)	70.00
(II)	दूध के डिब्बे (Milk Cans)	(₹ लाख में)	111.87
(III)	BMC	(₹ लाख में)	-
(IV)	मुख्यालय स्थापना	(₹ लाख में)	-
(V)	क्लस्टर स्थापना	(₹ लाख में)	2.00
(VI)	DPMCU	(₹ लाख में)	368.00
(VII)	BMC सहायक उपकरण	(₹ लाख में)	10.00
(VIII)	AMCU	(₹ लाख में)	-
(IX)	MCC स्थापना लागत	(₹ लाख में)	71.00
(X)	ICT	(₹ लाख में)	91.86
(XI)	अन्य	(₹ लाख में)	9.92
(XII)	पूंजीगत व्यय - दूध परिचालन	(₹ लाख में)	734.65
(XIII)	पूंजीगत व्यय हेतु अनुदान सहायता - दूध परिचालन	(₹ लाख में)	-
(XIV)	स्वयं की निधि से पूंजीगत व्यय	(₹ लाख में)	734.65

B	PES परिचालन (शीर्षक)		
(I)	पूंजीगत व्यय - PES परिचालन	(₹ लाख में)	10.00
(II)	अनुदान सहायता - PES परिचालन	(₹ लाख में)	-
C	कुल पूंजीगत व्यय	(₹ लाख में)	744.65
D	पूंजीगत व्यय - वित्तपोषण एजेंसी से सहायता	(₹ लाख में)	-
E	स्वयं की निधि से पूंजीगत व्यय	(₹ लाख में)	744.65

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की पाँचवीं वार्षिक सामान्य सभा की कार्यवाही (Minutes), जो शनिवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को 'होटल गॉडविन, एनएच-58, बागपत बाईपास क्रॉसिंग, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002' में आयोजित हुई, सभा प्रातः 11:30:00 बजे प्रारंभ हुई तथा अपराह्न 12:40:00 बजे समाप्त हुई।

उपस्थित:

1. श्री कपिल भारद्वाज : अध्यक्ष एवं शेयरधारक
2. श्रीमती अंजु देवी : निदेशक एवं शेयरधारक
3. श्री रवीन्द्र कुमार : निदेशक एवं शेयरधारक
4. श्रीमती संगीता : निदेशक एवं शेयरधारक
5. श्री संजय कुमार : निदेशक एवं शेयरधारक
6. श्री शैलेन्द्र सिंह : निदेशक एवं शेयरधारक
7. श्री वीरेन्द्र : निदेशक एवं शेयरधारक
8. श्री विवेक कुमार : निदेशक एवं शेयरधारक
9. श्री नरिन्दर सिंह बाहगा : एक्सपर्ट डायरेक्टर
10. डॉ. निरव पटेल : एक्सपर्ट डायरेक्टर
11. डॉ. हितेश पूनिया : मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

उपस्थिति में:

1. श्री श्रीमन नारायण पाण्डेय : कंपनी सचिव

क. श्री कपिल भारद्वाज ने प्रातः 11:30 बजे अध्यक्षता ग्रहण की तथा कंपनी सचिव से सभा प्रारंभ करने हेतु आवश्यक उपस्थिति एवं गणपूर्ति (quorum) की पुष्टि करने को कहा।

ख. इसके पश्चात, कंपनी सचिव श्री श्रीमन नारायण पाण्डेय ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 6,134 शेयर धारित करने वाले 140 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे तथा 7,95,781 शेयर धारित करने वाले 22,970 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y सहपठित आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार आवश्यक गणपूर्ति 16,170 सदस्य है।

ग. कंपनी सचिव से पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात अध्यक्ष ने गणपूर्ति उपस्थित होने की घोषणा की।

घ. कंपनी सचिव ने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन तथा अन्य सांविधिक रजिस्टर उपलब्ध एवं निरीक्षण हेतु खुले थे। उन्होंने यह भी सूचित किया कि कंपनी के लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी या अर्हता (qualification) नहीं थी, अतः लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन पठित मान लिया गया।

च. अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि सांविधिक लेखा-परीक्षक, मेसर्स एस.बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सभा में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है तथा कंपनी से अनुपस्थिति की छुट्टी (leave of absence) मांगी है। इसके पश्चात सभा को व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया गया।

छ. अध्यक्ष ने सदस्यों एवं निदेशकों का कंपनी की 5वीं वार्षिक सामान्य सभा में स्वागत किया। इसके पश्चात, अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, मिशन एवं विज़न को पढ़कर सभा की कार्यवाही प्रारंभ की।

ज. उपस्थित सदस्यों की एकमत सहमति से, 5वीं वार्षिक सामान्य सभा बुलाने की सूचना, जो पहले से ही सदस्यों को परिचालित की जा चुकी थी, पठित मान ली गई। साथ ही, लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/अर्हता न होने के कारण, लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन को पठित माना गया।

झ. इसके पश्चात, अध्यक्ष ने अपने भाषण में सभा को कंपनी के परिचालन एवं कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में संक्षेप में बताया।

ञ. इसके पश्चात, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव श्री श्रीमन नारायण पाण्डेय ने सभा के कार्यसूची (Agenda) के मदों को उठाया:

12. 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि खाते को, उससे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों तथा निदेशकों एवं लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदनों सहित, प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकृत करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पास करना।

1.1 सदस्यों ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के खातों पर विचार-विमर्श किया।

1.2 श्रीमती पूजा सैनी (फोलियो सं. 0043334) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:1/2025

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि का लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त अवधि का लाभ-हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरण, उससे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों सहित, तथा कंपनी के निदेशकों एवं लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन को स्वीकृत एवं अंगीकृत किया जाता है।"

श्रीमती रीना सैनी (फोलियो सं. 0027391) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मत हेतु रखा तथा हाथ उठाकर मत विभाजन में इसे एकमत से पारित घोषित किया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) घोषित करने पर विचार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पास करना।

2.1 श्रीमती अनीता (फोलियो सं. 0051407) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:2/2025

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ में से ₹100 प्रत्येक के पूर्ण चुकता 11,78,237 इक्विटी शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर ₹8 की दर से सीमित प्रतिफल (लाभांश), अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल ₹94,25,896, स्वीकृत एवं पुष्ट किया जाता है, तथा यह राशि उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान की जाएगी जिनके नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्य रजिस्टर में दर्ज थे।"

श्रीमती वंदना (फोलियो सं. 0044283) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मत हेतु रखा तथा हाथ उठाकर मत विभाजन में इसे एकमत से पारित घोषित किया।

3. "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले तथा पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले श्री कपिल भारद्वाज (DIN: 09377124) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना।

3.1 श्री सचिन (फोलियो सं. 0040866) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:3/2025

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य उपबंध शामिल हैं (किसी भी रूप में), समय-समय पर प्रवृत्त सांविधिक संशोधनों या उपबंधों (अध्यादेशों) के अधीन, "श्रेणी-ए सदस्यों" का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री प्रवीण कुमार (DIN: 11254732) को, "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले तथा पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे एवं पुनर्नियुक्ति हेतु अपात्र कंपनी के निदेशक श्री कपिल भारद्वाज के स्थान पर, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

श्री कुलदीप (फोलियो सं. 0040869) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मत हेतु रखा तथा हाथ उठाकर मत विभाजन में इसे एकमत से पारित घोषित किया।

4. "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले तथा पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले श्री शैलेन्द्र सिंह (DIN:09377123) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना।

4.1 श्रीमती बबीता देवी (फोलियो सं. 0037943) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:4/2025

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य उपबंध शामिल हैं (किसी भी रूप में), समय-समय पर प्रवृत्त सांविधिक संशोधनों या उपबंधों (अध्यादेशों) के अधीन, "श्रेणी-ए सदस्यों" का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री मोहित कुमार (DIN:11251859) को, "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले तथा पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे एवं पुनर्नियुक्ति हेतु अपात्र कंपनी के निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह के स्थान पर, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

श्रीमती रिकी (फोलियो सं. 0028513) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मत हेतु रखा तथा हाथ उठाकर मत विभाजन में इसे एकमत से पारित घोषित किया।

5. "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले श्री प्रदीप कुमार (DIN: 11251875) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।

5.1 सुश्री साक्षी (फोलियो सं. 0003300) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:5/2025

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य उपबंधों (जिसमें समय-समय पर प्रवृत्त कोई सांविधिक संशोधन या पुनःअध्यादेश शामिल है) के अंतर्गत, "श्रेणी ए सदस्यों" का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री प्रदीप कुमार (DIN:11251875) को निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनका पद पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।"

श्रीमती राजेश देवी (फोलियो सं. 0028889) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

6. "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले श्री विश्वजीत पंवार (DIN: 11251853) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।

6.1 श्रीमती शिक्षा देवी (फोलियो सं. 0032266) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:6/2025

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य उपबंधों (जिसमें समय-समय पर प्रवृत्त कोई सांविधिक संशोधन या पुनःअध्यादेश शामिल है) के अंतर्गत, "श्रेणी ए सदस्यों" का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री विश्वजीत पंवार (DIN:11251853) को निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनका पद पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।"

श्रीमती शशि देवी (फोलियो सं. 0047147) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

7. "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले श्री दिग्मबर सिंह (DIN: 11251864) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।

7.1 श्री शिकुल कुमार (फोलियो सं. 0054441) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:7/2025

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य उपबंधों (जिसमें समय-समय पर प्रवृत्त कोई सांविधिक संशोधन या पुनःअध्यादेश शामिल है) के अंतर्गत, "श्रेणी ए सदस्यों" का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री दिग्मबर सिंह (DIN: 11251864) को निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनका पद पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।"

श्रीमती कुसुम (फोलियो सं. 0029626) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

8. 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

8.1 श्री जितेन्द्र अधाना (फोलियो सं. 0034730) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:8/2025

"संकल्प किया जाता है कि वार्षिक सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए कंपनी के बजट अनुमानों को स्वीकृत किया जाता है।"

श्री मनोज कुमार (फोलियो सं. 0018186) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मत हेतु रखा तथा हाथ उठाकर मत विभाजन में इसे एकमत से पारित घोषित किया।

9. संरक्षण (patronage) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने हेतु संशोधित मानदंडों पर विचार एवं अनुमोदन करना।

9.1 मोहम्मद शिराजुद्दुन खान (फोलियो सं. 0004905) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:9/2025

"संकल्प किया जाता है कि 29 नवम्बर, 2021 को आयोजित प्रथम वार्षिक आम सभा में पारित संकल्प के अधिक्रमण (supersession) में, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.4 के संदर्भ में, सदस्यों के व्यापार में सहभागिता (अर्थात् संरक्षण) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने हेतु संशोधित मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं:

क्र.सं.	पैरामीटर	क्लास - ए	क्लास - बी	क्लास - सी
1	MPC को वर्ष में दूध आपूर्ति के दिनों की संख्या	≥ 300	≥ 270	≥ 200
2	MPC को आपूर्ति की गई वार्षिक दूध मात्रा (लीटर में)	≥ 6000	≥ 3000	≥ 500
3	फ्लश (नवम्बर से फरवरी) एवं लीन (अप्रैल से जुलाई) की दूध आपूर्ति का अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होना चाहिए	फ्लश-लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होगा	फ्लश-लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होगा	फ्लश-लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होगा
4	अभिदत्त MPC शेयरों की न्यूनतम संख्या (शेयर पूंजी में अंशदान की राशि)	60 शेयर	30 शेयर	5 शेयर

टिप्पणी --

क) वर्ग के वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु वास्तविक शेयर अंशदान या वास्तविक दूध की आपूर्ति की मात्रा, जो भी कम हो, पर विचार किया जाएगा।

ख) संरक्षण की गणना के प्रयोजन हेतु, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

i. जिन सदस्यों को पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया है तथा जिनकी सदस्यता के 365 दिन अभी पूर्ण नहीं हुए हैं परंतु जिन्होंने न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी का अभिदान (subscribe) किया है, उन्हें उस वर्ग से संबंधित माना जाएगा।

ii. जो सदस्य श्रेणी ए या श्रेणी बी के अंतर्गत मानदंडों को पूरा नहीं करता है, वह उस उपयुक्त निम्न श्रेणी में जा सकता है जिसके मानदंड वह पूरा करता है। तथापि, वह उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल के पद हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

iii. जो सदस्य कम से कम 'श्रेणी सी' बनाए रखने हेतु आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 4.3 सहपठित अनुच्छेद 8 के उपबंधों के अनुसार सदस्यता समाप्ति की सूचना जारी की जाएगी।

उक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी रूप में स्वीकृत एवं अंगीकृत किए जाते हैं।"

श्री दलचंद (फोलियो सं. 0004815) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मत हेतु रखा तथा हाथ उठाकर मत विभाजन में इसे एकमत से पारित घोषित किया।

10. बोर्ड में रिक्त पद हेतु पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की, निर्धारित मानदंडों के आधार पर, संवीक्षा (scrutinize) करने के लिए 'नामांकन समिति (Nominating Committee) के गठन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों' के संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन करना।

10.1 श्री घनेन्द्र सिंह (फोलियो सं. 0049268) ने निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:10/2025

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-A, विशेष रूप से धारा 378-I, तथा अन्य संबंधित उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू उपबंधों के अनुसरण में, तथा इस संबंध में पहले पारित किए गए किसी संकल्प के अधिक्रमण में, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा 'नामांकन समिति के गठन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों' को निम्नानुसार संशोधित करने हेतु प्रदान की जाती है:

(i) हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का बोर्ड, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर, बोर्ड में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद हेतु 'संभावित उम्मीदवार' का सुझाव देने के लिए एक "नामांकन समिति" (NC) का गठन करेगा।

(ii) बोर्ड में उत्पादक निदेशकों की रिक्ति (श्रेणी ए या श्रेणी बी या श्रेणी सी के अंतर्गत) की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार हेतु पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की सूचना (बोर्ड पर रिक्त जितने भी पद हों, उन्हें भरने हेतु) कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, और/या सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी के पास पंजीकृत उसके/उसकी ई-मेल आईडी पर भेजकर और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/तरीके से, संबंधित वर्ग(ओं) के सभी पात्र सदस्यों को, जिनमें रिक्ति उत्पन्न हुई है, प्रदर्शित/भेजी जाएगी।

(iii) बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा, जिसका अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान हेतु 'नामांकन समिति' द्वारा अनुसरण किया जाना है।

(iv) "नामांकन समिति" प्रत्येक पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक मानदंड के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक की पात्रता स्कोर' दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक की पात्रता स्कोर हेतु पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को दूध आपूर्ति के दिनों की संख्या। स्कोरिंग इस प्रकार होगी: (95% या अधिक दिन - 30; 85% से <95% दिन - 20; 75% से <85% - 15; 65% से <75% - 10; 55% से <65% - 5; <55% - 0)	30
अवधि के दौरान संपूर्ण अतिरिक्त दूध कंपनी को आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं की) - स्व-घोषणा एवं कंपनी द्वारा तत्पश्चात सत्यापन के आधार पर।	5
पिछले 5 वर्षों तक किसी एक सदस्यता वर्ग (ए, बी, सी) को बनाए रखना, प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक	30

आवेदक की शैक्षणिक योग्यता। पुरुष हेतु - 12वीं पास हेतु 5 अंक, स्नातक हेतु 10 अंक, स्नातकोत्तर हेतु 15 अंक। महिला हेतु - 10वीं पास हेतु 5 अंक, 12वीं पास हेतु 10 अंक, स्नातक हेतु 15 अंक	15
प्राप्त प्रशिक्षण - सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); VCG/MRG प्रशिक्षण (5 अंक); LDP (लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम)/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 अंक)	20
कुल	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित नामांकन समिति में शामिल होंगे:-

(i) बोर्ड में उस सदस्यता वर्ग से एक उत्पादक-सदस्य निदेशक, जिसमें रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते ऐसा उत्पादक सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक सामान्य सभा में सेवानिवृत्त होने वाला न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य पात्र हैं, तो एक NC सदस्य की पहचान, आपस में किसी सहमति के अभाव में तथा उसके अधीन, चिट्ठी डालकर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक की पहचान सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या चिट्ठी डालकर की जाएगी;

(ii) कंपनी के बोर्ड पर एक एक्सपर्ट डायरेक्टर; तथा

(iii) किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या उत्पादक-स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास हेतु सराहनीय कार्य करने वाली किसी संस्था से एक विशेषज्ञ।

कंपनी की कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेंगी तथा नामांकन समिति की बैठक की कार्यवाही सहित सभी संबंधित दस्तावेजों को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगी।

(iv) 'नामांकन समिति' की अवधि समिति की पहली बैठक की तिथि से उस तिथि तक होगी जब तक वह अपनी संस्तुति कंपनी के बोर्ड को नहीं भेज देती।

(v) बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान हेतु 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन हेतु, कंपनी के निदेशक मंडल को यह सभी आवश्यक एवं समुचित कदम उठाने तथा सभी कार्य, कार्रवाई, मामले एवं बातें करने तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने हेतु, अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार, प्राधिकृत किया जाता है।"

श्री हरिओम (फोलियो सं. 0015885) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मत हेतु रखा तथा हाथ उठाकर मत विभाजन में इसे एकमत से पारित घोषित किया।

11. NDDB द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की शेयर पूंजी का अभिदान (subscribe) करने पर विचार एवं अनुमोदन करना।

11.1 श्रीमती सविता (फोलियो सं. 0030669) ने निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प सं. 5वीं AGM:20.09.2025:11/2025

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपबंधों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के उपबंधों तथा अधिनियम के अन्य लागू उपबंधों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों, अन्य लागू विधियों/सांविधिक उपबंधों, यदि कोई हों (जिसमें समय-समय पर प्रवृत्त कोई सांविधिक संशोधन या पुनःअधिनियमन शामिल है) के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन एतद्वारा सामान्य आरक्षित निधि (General Reserves) के 30% की सीमा तक मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयरों का अभिदान करने तथा NDDb द्वारा प्रोत्साहित मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बनने हेतु प्रदान किया जाता है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी को इस संकल्प को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक सभी कार्रवाई प्रारंभ करने तथा दस्तावेजों का निष्पादन करने के लिए पृथक-पृथक रूप से प्राधिकृत किया जाता है।"

श्रीमती रिकी (फोलियो सं. 0056822) ने उक्त संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मत हेतु रखा तथा हाथ उठाकर मत विभाजन में इसे एकमत से पारित घोषित किया।

12. सभा में विचारार्थ अन्य कोई कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सभा समाप्त हुई।

अध्यक्ष

हस्ताक्षर की तिथि:

हस्ताक्षर का स्थान:

प्रविष्टि की तिथि:

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड			
आय बजट (Revenue Budget)			
क्र.सं.	विवरण	मापन इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 25-26
(I)	दूध खरीद मात्रा	(KGPD)	2,89,589
(II)	दूध परिचालन से आय	(₹ लाख में)	56,616.77
(III)	उत्पादक मूल्य	(₹ लाख में)	50,514.45
(IV)	सहायक मार्जिन	(₹ लाख में)	1,450.13
(V)	रसद लागत	(₹ लाख में)	1,571.97
(VI)	अन्य दूध खरीद लागत	(₹ लाख में)	1,145.27
(VII)	स्थिर लागत	(₹ लाख में)	1,752.30
(VIII)	अनुदान सहायता से पूर्व दूध परिचालन से लाभ/(हानि)	(₹ लाख में)	182.65
(IX)	CF एवं अन्य से आय	(₹ लाख में)	102.01
(X)	अन्य आय	(₹ लाख में)	184.13
(XI)	अनुदान सहायता से पूर्व दूध परिचालन से लाभ/(हानि)	(₹ लाख में)	468.80
(XII)	PES व्यय JICA	(₹ लाख में)	818.15
(XIII)	JICA वित्तपोषण एजेंसी से PES सहायता	(₹ लाख में)	745.24
(XIV)	अनुदान सहायता के पश्चात कर-पूर्व लाभ/(हानि)	(₹ लाख में)	395.89
पूंजीगत व्यय बजट (Capex Budget)			
क्र.सं.	विवरण	मापन इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 25-26
A	दूध परिचालन (शीर्षक)		
(I)	MPP स्थापना लागत	(₹ लाख में)	-
(II)	दूध के डिब्बे (Milk Cans)	(₹ लाख में)	155.79
(III)	BMC	(₹ लाख में)	88.00
(III)	मुख्यालय स्थापना	(₹ लाख में)	5.00
(IV)	क्लस्टर स्थापना	(₹ लाख में)	4.00
(V)	DPMCU	(₹ लाख में)	250.00
(VI)	BMC सहायक उपकरण	(₹ लाख में)	10.00
(VII)	AMCU	(₹ लाख में)	8.00

(VIII)	MCC स्थापना लागत	(₹ लाख में)	192.00
(IX)	ICT	(₹ लाख में)	179.86
(X)	अन्य	(₹ लाख में)	0.33
(XI)	पूंजीगत व्यय - दूध परिचालन	(₹ लाख में)	892.98
(XII)	पूंजीगत व्यय हेतु अनुदान सहायता - दूध परिचालन	(₹ लाख में)	391.51
B	PES परिचालन (शीर्षक)		
(I)	पूंजीगत व्यय - PES परिचालन	(₹ लाख में)	72.21
(II)	अनुदान सहायता - PES परिचालन	(₹ लाख में)	64.99
C	कुल पूंजीगत व्यय	(₹ लाख में)	965.19
D	पूंजीगत व्यय - वित्तपोषण एजेंसी से सहायता	(₹ लाख में)	456.50

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाज़ा, प्लॉट सं.-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रुड़की रोड,
मेरठ-250110, उत्तर प्रदेश, भारत

सीआईएन सं. U01110UP2021PTC154607, ईमेल: info@haritpmilk.com, फोन: 0121
2995900

फॉर्म सं. MGT-11

प्रॉक्सी फॉर्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम
19(3) के अनुसरण में)

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

कंपनी का नाम: हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाज़ा, प्लॉट सं.-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रुड़की रोड,
मेरठ-250110, उत्तर प्रदेश, भारत

सदस्य(यों) का नाम:

पंजीकृत पता:

ईमेल आईडी:

फोलियो सं.:

मैं/हम उक्त कंपनी के शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्वारा
नियुक्त करते हैं

1. नाम:

पता:

फोलियो सं.:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर अथवा उनकी अनुपस्थिति में

2. नाम:

पता:

फोलियो सं.:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर

को मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करते हैं, जो मेरी/हमारी ओर से एवं मेरे/हमारे लिए कंपनी की
6वीं वार्षिक सामान्य सभा में, जो बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2026 को 'संस्कृति रिजॉर्ट्स, रोहटा रोड
प्लाइओवर के निकट, एनएच-58, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250110' में दोपहर 12:30 बजे आयोजित होगी,
तथा उसके किसी स्थान पर, नीचे दर्शाए गए संकल्पों के संबंध में उपस्थित होकर मत देंगे:

क्र.सं.	संकल्प	पक्ष में	विपक्ष में	निष्पक्ष
1	31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि खाते को, निदेशकों एवं लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदनों सहित, प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकृत करना।			
2	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) घोषित करने पर विचार करना।			
3	कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति पर विचार करना।			
4	"क्लास ए" का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे श्री रवीन्द्र कुमार (DIN: 10053514) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना।			
5	"क्लास बी" का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा पदावली अनुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे श्री संजय कुमार (DIN:10055051) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना।			
6	"क्लास-सी" का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती पूनम (फोलियो सं. 0001173) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
7	"क्लास-सी" का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती मनीषा (फोलियो सं. 0057935) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
8	कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
9	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			

हस्ताक्षरित इस

शेयरधारक के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर:

टिप्पणी: प्रॉक्सी फॉर्म, उक्त सभा के आयोजन के नियत समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक है।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाज़ा, प्लॉट सं.-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रुड़की रोड,
मेरठ-250110, उत्तर प्रदेश, भारत

सीआईएन सं. U01110UP2021PTC154607, ईमेल: info@haritpmilk.com, फोन: 0121
2995900

उपस्थिति पर्ची

फोलियो सं.:

सदस्य कोड:

मैं एतद्वारा 30 सितम्बर, 2026 को आयोजित हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 6वीं
वार्षिक सामान्य सभा या इसकी स्थगित सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

शेयरधारक का नाम.....

प्रॉक्सी का नाम.....

(प्रॉक्सी के सभा में उपस्थित होने की स्थिति में)

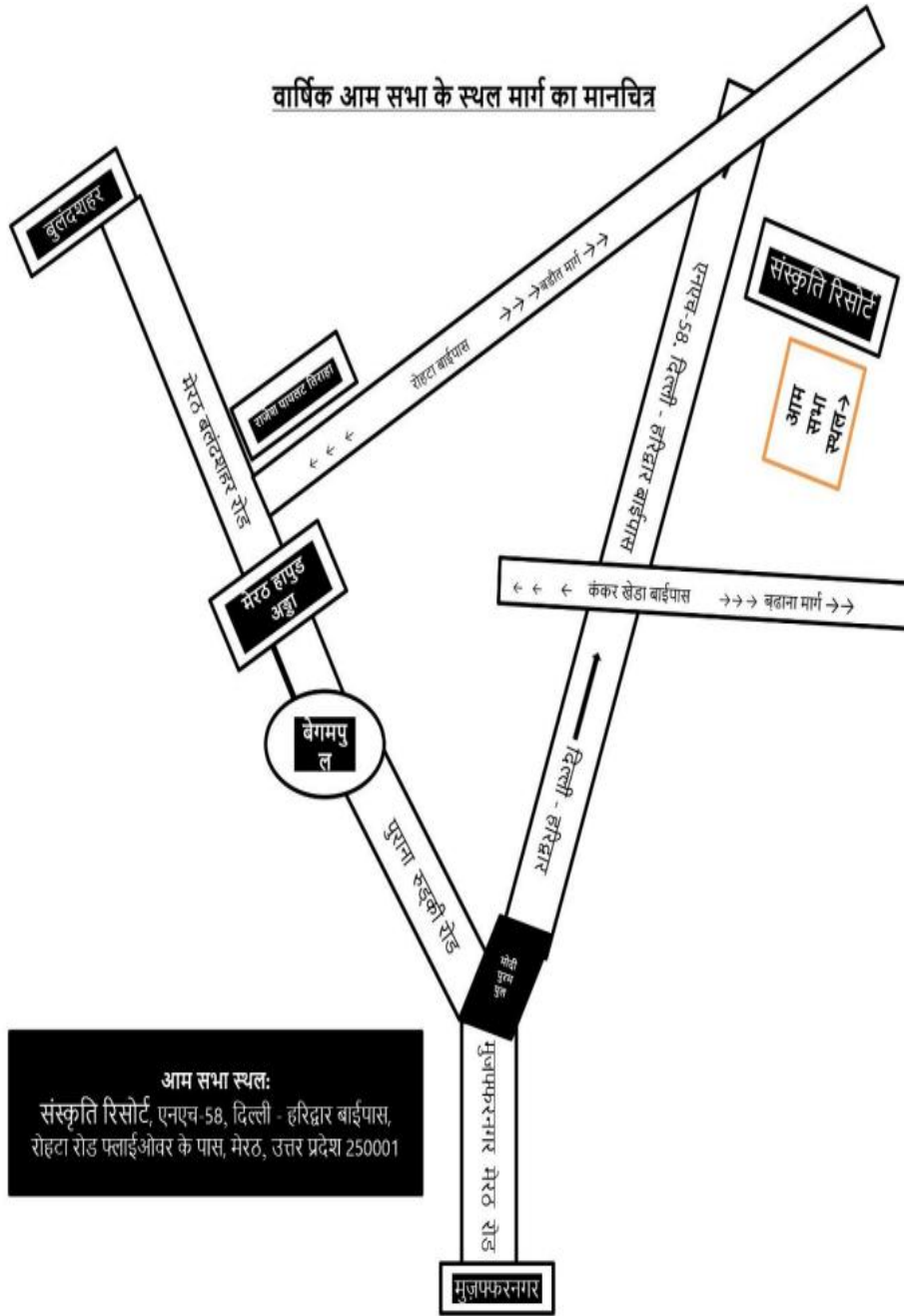
(क) उपस्थिति हेतु: _____

(ख) उपस्थिति एवं मतदान हेतु: _____

शेयरधारक/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर*

*जो लागू न हो उसे काट दें

वार्षिक आम सभा के स्थल मार्ग का मानचित्र



हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाज़ा, प्लॉट सं.-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रुड़की रोड,
मेरठ-250110, उत्तर प्रदेश, भारत

सीआईएन सं. U01110UP2021PTC154607, ईमेल: info@haritpmilk.com, फोन: 0121
2995900

प्राप्ति सूचना (ACKNOWLEDGEMENT)

फोलियो संख्या: सदस्य कोड:

मैं फोलियो सं. सदस्य कोड निवासी
..... हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सदस्य, कंपनी द्वारा भेजी
गई 6वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना, सभी संलग्नकों सहित, दिनांक को प्राप्त हुई।

सदस्य के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक:

स्थान:

हाथ से डिलीवरी के मामले में

सूचना एवं संलग्नक देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

अधिकारी/व्यक्ति का नाम